45

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अनुदानों की मांगें

(2023-24)

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, *2023/* चैत्र, *1945* (शक)

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अनुदानों की मांगें

(2023-24)

23.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

23.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, *2023/* चैत्र, *1945* (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
	प्रतिवेदन	
अध्याय एक	**प्रस्तावना**	1
अध्याय दो	**बजटीय आवंटन और व्यय**	11
अध्याय तीन	**दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का सामान्य प्रदर्शन**	18
अध्याय चार	**सहायक उपकरणों/ उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता (एडीआईपी)**	31
अध्याय पांच	**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम**, 2016 **के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)**	43
अध्याय छह	**दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)**	61
अध्याय सात	**दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)**	66
अध्याय आठ	**दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति**	71
अध्याय नौ	**दिव्यांग स्पोर्ट सेन्टर**	76
अध्याय दस	**राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी)**	79
	परिशिष्ट	
एक.		
दो.		
परिशिष्ट	**टिप्पणियों/सिफारिशों का विवरण**	

* **बाद में संलग्न किया जाएगा।**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
(2022-23) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक अधिकारी (देव)
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतर सिंह दरबार
8. श्रीमती मेनका संजय गांधी
9. श्री हंस राज हंस
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्रीमती रंजीता कोली
12. श्रीमती गीता कोड़ा
13. श्री विजय कुमार
14. श्री अक्षयवर लाल
15. सरदार सिमरन जीत सिंह मान
16. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
17. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
18. श्री के. षणमुग सुंदरम
19. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
20. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक
23. श्रीमती रमिलाबेन बारा
24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
26. श्री एन. चंद्रशेखरन
27. श्री नारायण कोरागप्पा
28. श्रीमती ममता मोहंता
29. श्री रामजी
30. श्री अंतियुर पी.सेल्वरासू
31. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

लोक सभा सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	अपर सचिव
2. श्री वेद प्रकाश नौरियाल	-	संयुक्त सचिव
3. श्रीमती ममता केमवाल	-	निदेशक
4. श्रीमती बिनानी सरकार जोशी	-	अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) से संबंधित 'वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगें' विषय पर यह पैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

2. समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के अनुदानों की मांगों (2023-24) पर विचार किया जिसे 10 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखा गया था। बजट संबंधी दस्तावेजों, व्याख्यात्मक टिप्पण, आदि प्राप्त करने के बाद समिति ने 16 फरवरी, 2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) का साक्ष्य लिया। समिति ने दिनांक 22 मार्च, 2023 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के अधिकारियों को अनुदानों की मांगों' (2023-24) की जांच के संबंध में समिति के समक्ष उपस्थित होने और सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है।

4. संदर्भ सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
22मार्च, 2023
01 चैत्र, 1945 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय- एक

परिचय

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण पर लक्षित नीतिगत मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने और गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बनाया गया। विभाग भारत में दिव्यांगता से संबंधित मामलों में विभिन्न स्टेकहोल्डरों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, गैर सरकारी संगठनों आदि के बीच और नजदीकी समन्वय स्थापित करने के साथ ही दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

1.2 "दिव्यांग व्यक्ति" (जिसे दिव्यांगजन भी कहा जाता है) को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016के तहत “ऐसी दीर्घकलिक शारीरक, मानिसक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रूकावट उत्पन्न होती है; परिभाषित किया गया है। "बेंचमार्क दिव्यांगता” वाले व्यक्ति का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसकी निर्दिष्ट दिव्यांगता प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा यथा प्रमाणित 40प्रतिशत से कम नहीं हों। 2011की जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या का 2.68 करोड़ या 2.21 प्रतिशत किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित है। हालाँकि, यह संख्या और भी अधिक हो सकती है क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016के लागू होने के बाद और भी कई दिव्यांगता जोड़ी गई हैं, लेकिन 2021की जनगणना पूर्ण होने तक, बाद में जोड़ी गई दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के आधिकारिक पूर्ण आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने 2018 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का आयोजन किया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) ने जुलाई-दिसंबर, 2018में अपने 76वें दौर में कुल दिव्यांग आबादी को 2.2 प्रतिशत बताया है।

1.3 विभाग के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:

1. शारीरिक पुनर्वास, जिसमें शीघ्र निदान तथा उपाय, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास तथा दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता शामिल है;
2. व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षणिक पुनर्वास,
3. आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक सशक्तिकरण
4. पुनर्वास व्यावसायिकों / कर्मियों को तैयार करना ।
5. आंतरिक कार्य दक्षता / संवेदनात्मकता / सेवा प्रदायगी में सुधार और
6. समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता पैदा करने के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का समर्थन।

1.4 दिव्यांगजन कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित और विभाग द्वारा कार्यान्वित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम निम्नानुसार हैं:-

1. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992,
2. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त, व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999; और
3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, (आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016)

1.5 मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी) के कार्यालय की स्थापना ,आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016 ,या किसी अन्य कानून जो लागू हों, के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करने, दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के उपभोग को बाधित करने वाले कारकों की समीक्षा करने और समुचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए की गई थी। सीसीपीडी का कार्यालय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों जैसे रोजगार और प्रवेश में आरक्षण, दिव्यांगजन के विरूद्ध भेदभाव के प्रेस, मीडिया में रिपोर्ट किए गए और संबंधित अधिकारियों के साथ उठाए गए मामले का कार्यान्वयन न किए जाने का स्वतः संज्ञान भी लेता है। मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन को कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ सौंपी गई हैं और मुख्य आयुक्त के समक्ष कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अधीन न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973की धारा 195 और अध्याय XXVI के उद्देश्य के लिए एक सिविल न्यायालय के रूप में माना जाएगा।

1.6 जब विभाग के अधीन वैधानिक निकायों, जैसे भारतीय पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय न्यास और मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालयों में रिक्तियों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर सचिव ने समिति के समक्ष निम्नानुसार कहा: -

"मैडम, आज की तारीख में तीनों पद रिक्त हैं। लेकिन तीनों पदों को भरने के लिए प्रॉसेस ऑन है। सी सी पी डी के एप्लिकेशंस आ चुके हैं, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। तीन या चार अप्रैल को इंटरव्यू फिक्स हो गई है। नैशनल ट्रस्ट के चेयरमैन पद के लिए भी विज्ञापन निकला हुआ है। उसका लास्ट डेट पाँच-सात दिनों में समाप्त होने वाला है। आर सी आई चेयरमैन के पद के लिए भी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है। इसके लिए 11 एप्लिकेशंस आये हुए हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में हमने इंटरव्यू फिक्स कर दिया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक हम तीनों प्रस्ताव डी ओ पी टी को भेज देंगे। उसके बाद फाइनल मान्यता ए सी सी से आती है। लेकिन हमारी जेन्यून कोशिश है कि अप्रैल के अंत तक सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी करके नामों के साथ ए सी सी को प्रस्ताव चला जाए।"

1.7 भारत में दिव्यांगता मोटे तौर पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत किए गए प्रावधानों द्वारा मार्गदर्शित है जिसे 19 अप्रैल, 2017 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में निम्नानुसार 5 श्रेणियों में व्यापक रूप से वर्गीकृत विभिन्न विनिर्दिश्ट दिव्यांगताएं अभिज्ञात की गई हैं:-

दिव्यांगता का प्रकार	**घटक**
शारीरिक दिव्यांगता	1. गतिविषयक दिव्यांगता सहित, कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्राफी, एसिड अटैक पीड़ित। 2. दृष्टिहीना (केवल दृष्टिहीन और निम्न दृष्टि) 3. श्रवण बाधिता (केवल बधिर और सुनने में कठिनाई वाला) 4. वाक् और भाषा दिव्यांगता
बौद्धिक दिव्यांगता	विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पैक्ट्रम विकार मानसिक व्यवहार (मानसिक रुग्णता)
निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता	गंभीर तंत्रिका संबंधी दशाएं जैसे पार्किसन रोग और बहु-स्केलेरोसिक

रक्त विकार	हेमोफीलिया, थेलेसीमिया और सिक्कल कोशिका रोग
बहु-दिव्यांगताएं	

<u>भारत में दिव्यांगजनों की जनसंख्या की सांख्यिकीय रूपरेखा</u>

1.8 भारत के महापंजीयक ने जनगणना, 2021के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और वे जनगणना, 2021में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016में दी गई दिव्यांगजनों की सभी इक्कीस श्रेणियों से संबंधित डेटा संगृहीत करने के मानदंडों में संशोधन कर रहे हैं। विभाग ने इस संबंध में भारत के महापंजीयक (आरजीआई) को अपने विचार बताए हैं। जबकि देश 2021 की जनगणना के शुरू होने का इंतजार कर रहा है, जिसमें कोविड 19 महामारी के कारण देरी हुई है, विभाग दिव्यांगजनों की संख्या के विवरण के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर काफी हद तक निर्भर है। जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगजनों की कुल संख्या और दिव्यांगता के प्रकारों के आधार पर उनकी संख्या का विवरण नीचे दिया गया है -:

दिव्यांगता का प्रकार	**व्यक्ति**	**पुरूष**	**महिला**
देखने में	50,33,431	26,39,028	23,94,403
सुनने में	50,72,914	26,78,584	23,94,330
बोलने में	19,98,692	11,22,987	8,75,705
चलने में	54,36,826	33,70,501	20,66,325
मानसिक मंदता	15,05,964	8,70,898	6,35,066
मानसिक रूग्णता	7,22,880	4,15,758	3,07,122
कोई अन्य	49,27,589	27,28,125	21,99,464
बहु दिव्यांगता	21,16,698	11,62,712	9,53,986
कुल	2,68,14,994	1,49,885,93 (55.89%)	1,18,264,01 (44.11%)

1.9 आवासीय क्षेत्र के आधार पर दिव्यांगजनों का वर्गीकरण नीचे दिये अनुसार है:-

भारत में आवास के आधार पर दिव्यांगजनों की जनसंख्या, 2011*			
निवास	**व्यक्ति**	**पुरूष**	**महिला**

शहरी	81, 78,636 (30.51%)	45,78,034	36,00,602
ग्रामीण	1,86,31,921 (69.49%)	1,04,08,168	82,23,753
कुल	2,68,10,557	1,49,86,202	1,18,24,355

1.10 दिव्यांगजनों का शैक्षणिक स्तर निम्नानुसार है: -

शैक्षणिक स्तर	**व्यक्ति**	**पुरूष**	**महिला**
निरक्षर	1,21,96,641	56,40,240	65,56,401
साक्षर	1,46,18,353	9,34,835	52,70,000
(i) साक्षर परंतु प्राथमिक से नीचे	28,40,345	17,06,441	11,33,904
(ii) प्राथमिक परंतु मिडिल से नीचे	35,54,858	21,95,933	13,58,925
(iii) मिडिल परंतु मैट्रिक/माध्यमिक से नीचे	24,48,070	16,16,539	8,31,531
(iv) मैट्रिक/माध्यमिक परंतु स्नातक से नीचे	34,48,650	23,30,080	11,18,570
(v) स्नातक और उससे ऊपर	12,46,857	8,39,702	4,07,155
कुल	**2,68,14,994**	**1,49,88,593**	**1,18,26,401**

1.11 दिव्यांगजनों की कार्य स्थिति के संबंध में बताया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 36 प्रतिशत दिव्यांगजन कार्यरत हैं। जबकि 47 प्रतिशत दिव्यांग पुरुष रोजगार में लगे हुए हैं, वहीं महिलाओं के लिए यह संख्या केवल 23 प्रतिशत है। दिव्यांग श्रमिकों में 31 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। जबकि 15-59 वर्ष की आयु वर्ग की 50 प्रतिशत पीडब्ल्यूडी आबादी काम कर रही है, 14वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 4 प्रतिशत दिव्यांग बच्चे काम में लगे हुए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों का राज्यवार आंकड़ा इस प्रकार है: -

क्रमांक	राज्य	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या
1	आंध्र प्रदेश	1219785
2	अरुणाचल प्रदेश	26,734

3	असम	4,80,065
4	बिहार	23,31,009
5	छत्तीसगढ	6,24,937
6	दिल्ली	2,34,882
7	गोवा	33,012
8	गुजरात	10,92,302
9	हरियाणा	5,46,374
10	हिमाचल प्रदेश	1,55,316
11	जम्मू और कश्मीर	3,61,153
12	झारखंड	7,69,980
13	कर्नाटक	13,24,205
14	केरल	7,61,843
15	मध्य प्रदेश	15,51,931
16	महाराष्ट्र	29,63,392
17	मणिपुर	58,547
18	मिजोरम	15,160
19	मेघालय	44,317
20	नागालैंड	29,631
21	ओडिशा	12,44,402
22	पंजाब	6,54,063
23	राजस्थान	15,63,694
24	सिक्किम	18,187
25	तमिलनाडु	11,79,963
26	तेलंगाना	10,46,822
27	त्रिपुरा	64,346
28	उत्तर प्रदेश	41,57,514
29	उत्तराखंड	1,85,272
30	पश्चिम बंगाल	20,17,406
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,660
32	चंडीगढ़	14,796

33	दमन और दीव	2,196
34	दादरा और नगर हवेली	3,294
35	लक्षद्वीप	1,615
36	पुदुचेरी	30,189
	कुल	2,68,14,994

1.12 समिति ने बताया कि भारत में दिव्यांगजनों की संख्या 2.68 करोड़ आंकी गई है जो 2011 की जनगणना पर आधारित है। यह डेटा 11 साल से अधिक पुराना है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016के दायरे में और अधिक दिव्यांगता को शामिल किए जाने के कारण यह संख्या देश में दिव्यांगजनों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित नहीं करती है। वे जानना चाहते थे कि आवंटन और भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए विभाग दिव्यांगजनों की आबादी में हुई बढ़ोतरी को कैसे समायोजित करेगा। एक लिखित उत्तर में विभाग ने कहा है कि डीईपीडब्ल्यूडी की योजनाओं को 2011 की पीडब्ल्यूडी जनगणना के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें अतिरिक्त आबादी को समायोजित करने की अंतर्निहित लचीलापन रखा गया है। यह भी कहा गया है कि वर्षों से, डीडीआरएस और डीडीआरसी की कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के साथ योजनाओं के लाभार्थियों के आधार का विस्तार हुआ है और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

1.13 सचिव, ने समिति के समक्ष प्रस्तुत होते हुए यह स्वीकार किया:-

> "2011 के सेंसस में 2.11 परसेंट पापुलेशन में 2.68 करोड़ दिव्यांग थे। डब्ल्यू एच ओ के एस्टीमेट्स ये हैं कि 5 से 10 प्रतिशत लोग दिव्यांग कैटेगिरी में आते हैं। जैसे आपने बतया कि नया एक्ट आया और सात डिसएबलिटीज़ को बढ़ाकर 21 कर दिया गया। वर्ष 2021 का सेंसस होगा, यह संख्या काफी बढ़ सकती है।"

1.14 समिति ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अनुदान मांगों, 2023-24 के साथ-साथ पिछले दो वर्षों में वित्तीय प्रदर्शन और बजट के उपयोग की विस्तृत जांच की। विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई प्रस्तुति और समिति की बैठकों में उनके साथ बातचीत के दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों के जीवन पर असर डालने वाले मुद्दे सामने आए। विभाग द्वारा समिति को उपलब्ध कराए गए लिखित उत्तरों ने भी इन मुद्दों की सीमा के अलावा सामग्री और रूपरेखा पर भी ध्यान केंद्रित किया। समिति ने अनुदान मांगों और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,

2016जैसे महत्वपूर्ण विधेयक के तहत बताए गए अधिकारों के संदर्भ में, इन मामलों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया।

1.15 दिव्यांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सहायक उपकरणों और सामग्रियों पर वस्तु और सेवा कार (जीएसटी) लगाने के प्रशन पर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने समिति के समक्ष निम्नवत बातया :

> "हमने बजट से पहले वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था कि इन पर से पूरी तरह से जी एस टी हटा दिया जाए। शायद, हम इसके बाद जी एस टी काउंसिल को भी प्रस्ताव भेजेंगे।"

1.16 समिति नोट करती है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कंधों पर ,दिव्यांगता को मुख्यधारा में लाने, इससे जुड़ी नकारात्मक रूढ़िवादिता को दूर करने और अपनी योजनाओं एवं पहलों के माध्यम से सच्चे समावेशी समाज की नींव रखने और देश के कल्याण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करने की बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है और राष्ट्रीय दायित्व भी है। समिति आगे नोट करती है कि भारत ने दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (सीपीआरडी) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016को अधिनियमित किया है जो दिव्यांगजनों को स्वतंत्र रूप से और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने की बात करता है। जहाँ भारत सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए समावेशी समाज बनाना है, वहीं दूसरी ओर दिव्यांगजनों को इस संबंध में कई बाधाओं जैसे कि आर्थिक अवसरों की कमी, कम शैक्षिक उपलब्धियां, खराब स्वास्थ्य और गरीबी की उच्च दर का सामना करना पड़ रहा है । हालांकि समिति की राय है कि सबसे बड़ी बाधा दिव्यांगता के प्रति समाज का नकारात्मक द्रष्टिकोण है । उनकी राय है कि दिव्यांगजन केवल तभी 'अक्षम' बनते हैं जब समाज उन्हें सक्षम वातावरण से वंचित करता है जो उन्हें सम्मानित जीवन जीने का मौका देता है। समिति समझती है कि उनकी दुर्दशा के लिए कई ऐतिहासिक और अन्य कारक जिम्मेदार हैं,

फिर भी, वे आश्वस्त हैं कि भावी आयोजना, सक्रिय नेतृत्व और आवंटनों का विवेकपूर्ण और न्यायसंगत प्रबंधन सहित पर्याप्त धन निर्धारित करने से सच्चे समावेशी समाज का विकास किया जा सकता है।

1.17 समिति नोट करती है कि चूंकि कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना, 2021 के कार्य में विलंब हुआ, इसलिए विभाग 2011 ,के जनगणना आंकड़ों पर ही निर्भर है। जनगणना 2011 , के आंकड़ों के अनुसार 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति हैं जो कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत से अधिक हैं। चूंकि अगली जनगणना (2021) अभी तक पूरी नहीं हुई है और परिणाम आने शेष हैं, वर्ष 2016के अधिनियम के बाद जोड़े गए दिव्यांगजनों के वास्तविक आंकड़े एक या दो वर्ष में उपलब्ध हो पाने की संभावना है। इस संबंध में, समिति चाहती है कि मंत्रालय सर्वोत्तम अनुमान पर पहुंचने के लिए सभी उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करे ताकि ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा सके और उन्हें दिव्यांगजन कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाया जा सके। यद्यपि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (76वां दौर) ने दिव्यांग व्यक्तियों की जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान जारी किए हैं, इसमें केवल निश्चित मानकों वाले दिव्यांगजनों की गणना पर ध्यान केंद्रित किया गया है और विशेषज्ञों के अनुसार यह आबादी का केवल कुछ अंश ही है। इसलिए समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि जनगणना के आंकड़े आने तक अपनी कल्याणकारी योजनाओं में सभी दिव्यांगजनों को विशेष रूप से यथासंभव शामिल करने का वैकल्पिक तरीका खोजे, क्योंकि इनमें से अधिकांश दिव्यांगजन मानसिक या बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित हैं । समिति मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसएस करने वाले दिव्यांगता सर्वेक्षणकर्ताओं पर इस बात के लिए जोर दें कि जब कोई सर्वेक्षण तैयार किया जा रहा हो तो दिव्यांगता संबंधी विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाए, सर्वेक्षकों को दिव्यांगता के प्रकारों के बारे में व्यापक रूप से प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया जाए और

2016के अधिनियम में शामिल दिव्यांगता की सभी श्रेणियों को शामिल किया जाए, जैसा कि सरकार का उद्देश्य है ।

1.18 समिति को ज्ञात हुआ है कि दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सहायक-यंत्रों और उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 5 प्रतिशत शुल्क लगता है। समिति यह मानती है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता, साक्षरता और सम्मान के साथ रोजगार हेतु इन सहायक-यंत्रों और उपकरणों का उनके जीवन में बहुत महत्व है। समिति ने पाया कि विभाग इस मुद्दे को जीएसटी परिषद के शीर्ष स्तर पर उठा रहा है, समिति विभाग पर इस बात के लिए जोर देना चाहती है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग का ध्यान रखने वाले एक समाजिक कल्याण विभाग होने के नाते वे यह प्रयास करें कि इन वस्तुओं को कर मुक्त घोषित कर दिया जाए। अत: समिति यह चाहती है कि विभाग एक अनुकूल निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस मामले को आगे बढ़ाए जिससे भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक-साधन और उपकरण अधिक किफायती बन सके।

अध्याय- दो

बजट आवंटन और व्यय

2023-24 के लिए प्रस्ताव और आवंटन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 09 फरवरी, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अपनी विस्तृत मांग (मांग संख्या 94) संसद में प्रस्तुत की। इस वित्तीय वर्ष के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का बजट अनुमान 1225.15 करोड़ रुपये है। विवरण इस प्रकार हैं:-

(रुपये करोड़ में)

स्थापना व्यय	42.72
योजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटन	680.00
गैर-योजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटन	502.43
कुल	**1225.15**

जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) ने वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के साथ पिछले वर्षों के लिए बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय को दर्शाते हुए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है:

)रुपये करोड़ में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
2019-20	1204.90	1100	1016.18
2020-21	1325.39	900	861.63
2021-22	1171.77	1044.31	1009.45
2022-23	1212.42	1015.98	601.19 (13.02.2023 तक)
2023-24	1225.15		

2.2 समिति ने विभाग द्वारा 2023-24 के लिए प्रस्तावित राशि का विवरण जानना चाहा। इसके प्रत्युत्तर में विभाग ने यह कहा कि:

> "विभाग द्वारा चालू गतिविधियों की गति बनाए रखने और मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित नई गतिविधियों को शुरू करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 24-2023के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष 1239.65करोड़ रुपये की आवश्यकता प्रस्तुत की गई थी। उपकरणों की खरीद /फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता योजना, (एडिप) राष्ट्रीय संस्थानों (एनआईज), सिपडा, शिलांग में दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र की स्थापना, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत और राष्ट्रीय संस्थानों तथा समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में नए भवनों के निर्माण हेतु संवर्धित आवंटन का अनुरोध किया गया था।"

2.3 वित्त मंत्रालय द्वारा 1239.65 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट अनुमान से घटाकर 1225.15 करोड़ रुपये करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कहा कि:-

> "अगले पांच वर्षों तक जारी रखने हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा 11.08.2021 को आयोजित उनकी बैठक में एडिप, सिपडा, डीडीआरएस और छात्रवृत्ति नाम की केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के लिए आवंटन के संबंध में बजट अनुमान 2023-24 की सिफारिश की गई थी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की संपूर्ण अवधि के लिए सभी चार योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन वित्तीय आवंटन तथा वास्तविक लक्ष्यों के साथ किया गया है। अत: केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं का आवंटन अनुमोदित ईएफसी के अनुसार किया जाता है।" हालांकि, विभाग ने समिति को आश्वस्त करना चाहा कि विभाग की गैर-योजना व्यय के तहत राष्ट्रीय संस्थानों और दिव्यांगता केंद्रों के लिए अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।"

2.4 यह पूछे जाने पर कि क्या यह कटौती विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, यह बताया गया कि:-

> "बजट अनुमान 2023-24 में किए गए आवंटन उक्त वर्ष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे।" समिति को आश्वासन दिया गया था कि निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की स्थिति में, अनुदान की अतिरिक्त मांग संशोधित अनुमान (आर ई) स्तर पर की जाएगी।"

2.5 वर्ष 2023-24 के लिए कुल योजना परिव्यय को संशोधित अनुमान 2022-23 के 1,015.98 करोड़ रुपये (लगभग 17 प्रतिशत) से बढ़ाकर 1225.15 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जब विभाग से 2023-24 के दौरान 1,225.15 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के इष्टतम उपयोग के लिए किए गए/प्रस्तावित उपायों को बताने के लिए कहा गया, विभाग ने समिति के समक्ष निम्नानुसार बयान दिया:

"पिछले 3-4 साल में जो बजट प्रावधान होता था, फाइनली खर्चा थोड़ा कम होता था, इसमें अब हम पूरा फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहे हैं। एलिम्को के सेंटर बढ़ा रहे हैं। कई सी आर सी में भी एलिम्को सैटअप कर रहा है, कई डी डी आर सी में जाकर करेगा। सी आर सी की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगले दो साल में हर राज्य और यूटी में हमारा सी आर सी हो जाए। डी डी आर एस और डी डी आर सी की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि वर्ष 2023 में जो बजट है, पिछले साल के मुकाबले उसमें बिल्कुल ही 1 या 2 प्रतिशत की वृद्धि है। इस बार हम कॉफी कोशिश करेंगे कि अप्रैल से जून तक हम काफी खर्चा करलें और काफी हमने लाइनअप भी कर लिया है।"

2.6 समिति ने दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग द्वारा प्रस्तावित विशेष पहलों के बारे में जानना चाहा। इसके प्रत्युत्तर में विभाग ने निम्नानुसार बताया:

1. नई दिव्यांगता के लिए सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
2. प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सीपीएमयू टीम के माध्यम से मॉनीटरिंग और वास्तविक निरीक्षण।
3. इस विभाग की निःशुल्क कोचिंग और राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति योजनाओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में लागू की जा रही इसी तरह की निःशुल्क कोचिंग और राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति योजनाओं की पैटर्न पर ऑनलाइन मोड में लागू करने का प्रस्ताव है।
4. मूल्यांकन प्रामाणिकता के लिए यूडीआईडी कार्ड पर डिजिटल हस्ताक्षर लागू किया जा रहा है।
5. गृह जिले या उपचार-अस्पताल में मूल्यांकन का प्रावधान (जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है- प्रक्रियाधीन)।
6. सीपीएमयू के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र की मॉनीटरिंग और वास्तविक निरीक्षण।

7. पीएम-दक्ष पोर्टल पर एनएपी को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है।
8. पीएम-दक्ष पोर्टल पर शामिल करने के बाद, पीडब्ल्यूडी लाभार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सीधे आवेदन कर सकेंगे ।
9. रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय (आरटीडी) जैसे मांग आधारित मॉडल का विकास।
10. दिव्यांगजनों के लिए क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर।
11. दिव्यांगता खेल के लिए केंद्र।
12. नए समेकित क्षेत्रीय केंद्रों का निर्माण।

2.7 मंत्रालय द्वारा समिति के समक्ष उनके मौखिक साक्ष्य के दौरान संदर्भित एक संशोधित प्रक्रिया को उद्धृत करना उचित रहेगा जिसमें मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत धन जारी करना और पीएफएमएस प्रभाग, व्यय विभाग परिपत्र दिनांक 23.3.2021 और आगे के संशोधन दिनांक 16.2.2023 के अनुसार जारी धन के उपयोग की निगरानी करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं:

"सामान्य वित्तीय नियम 232 (वी) राज्य सरकारों को धन जारी करने और पीएफएमएस के माध्यम से धन के उपयोग की निगरानी करने का प्रावधान करता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत राज्यों को जारी धन की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी के लिए और फ्लोट समय को कम करने के लिए, व्यय विभाग ने दिनांक 16.12.2020 के समसंख्यक पत्र के तहत धन जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया का मसौदा साझा किया था। सीएसएस सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए। राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया गया और प्रक्रिया को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा नकदी जारी करने और धन उपयोग की निगरानी के संबंध में 1 जुलाई, 2021 से सीएसएस के तहत निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

क) प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एकल नोडल

एजेंसी)एसएनए (नामित करेगी। एसएनए राज्य सरकार द्वारा सरकारी लेनदेन करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए ,एक एकल नोडल खाता खोलेगा।

ख) सर्वसमावेशी योजनाओं के मामले में ,जिनकी कई उप-योजनाएँ हैं ,यदि आवश्यक हो ,तो राज्य सरकारें अलग एकल नोडल खातों के साथ सर्वसमावेशी योजना की उप-योजनाओं के लिए अलग एसएनए नामित कर सकती हैं।

ग) कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को निचले पायदान तक एसएनए के खाते का उपयोग उस खाते के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित आहरण सीमा के साथ करना चाहिए । हालांकि ,परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर ,प्रत्येक योजना के लिए शून्य-शेष सहायक खाते भी आईए के लिए या तो चयनित बैंक की एक ही शाखा में या विभिन्न शाखाओं में खोले जा सकते हैं।

घ) सभी शून्य शेष सहायक खातों में समय-समय पर संबंधित एसएनए द्वारा तय की जाने वाली आहरण सीमा आवंटित की जाएगी और लाभार्थियों ,विक्रेताओं आदि को भुगतान किए जाने पर योजना के एकल नोडल खाते से वास्तविक समय के आधार पर आहरण किया जाएगा । उपलब्ध आहरण सीमा उपयोगिता की सीमा तक कम हो जाएगी ।

ङ) मंत्रालय/विभाग प्रत्येक सीएसएस के लिए केंद्रीय हिस्सा ,भारतीय रिजर्व बैंक)आरबीआई (में रखे गए राज्य सरकार के खाते में जारी करेंगे ताकि उसे आगे एसएनए के खाते में जारी किया जा सके।

च) योजना का सिंगल नोडल खाता खोलने के बाद और आईए के जीरो बैलेंस सहायक खाता खोलने से पहले या उन्हें एसएनए के खाते से आहरण अधिकार सौंपने से पहले ,आईए सभी स्तरों पर एसएनए के एकल नोडल खाते में उनके खातों में पड़ी सभी अव्ययित राशि वापस कर देंगे। यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि सभी आईए द्वारा संबंधित एसएनए के एकल नोडल खाते में खर्च न की गई पूरी राशि वापस कर दी जाए। इसके लिए ,राज्य सरकारें तौर-तरीकों और समय-सीमा पर काम करेंगी और आईएएस के पास उपलब्ध राशि में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी तय करेंगी।

छ) मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि रिलीज सभी सीएसएस के तहत जमीनी

स्तर पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए जिसके परिणामस्वरूप किसी भी स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ कोई सामग्री फ्लोट नहीं हो।

ज) राज्य सरकार आरबीआई में अपने खाते में प्राप्त केन्द्रीय हिस्से को प्राप्त होने के 21 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एसएनए के खाते में स्थानांतरित कर देगी। केन्द्रीय अंश को राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते या किसी अन्य खाते में नहीं भेजा जाएगा । राज्य का तत्संबंधित हिस्सा जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए और यह केन्द्रीय हिस्सा जारी होने के 40 दिनों के बाद नहीं होना चाहिए। प्रत्येक सीएसएस के एकल नोडल खाते में एसएनए द्वारा निधियों को रखा जाएगा। राज्य सरकारें/ एसएनए / आई ए योजना के तहत वास्तविक भुगतानों को छोड़कर, योजना से संबंधित निधियों को किसी अन्य बैंक खाते में स्थानांतरित नहीं करेगी।

झ) राज्य सरकारें पीएफएमएस पर एसएनए और सभी आईए को पंजीकृत करेंगी और उन्हें सभी भुगतानों के लिए एसएनए और आईए को सौंपी गई विशिष्ट पीएफएमएस आईडी का उपयोग करेंगी। एसएनए ,आईए वेंडरों और धन प्राप्त करने वाले अन्य संगठनों के बैंक खातों को भी पीएफएमएस में मैप किया जाएगा।

ञ) मंत्रालय/विभाग राज्य कोषागार से एसएनए को जारी की गई धनराशि)केंद्रीय और राज्य दोनों के हिस्से (की मासिक समीक्षा करेंगे जिसमें एसएनए और आईए द्वारा धन का उपयोग और प्रत्येक सीएसएस के लक्ष्यों के मुकाबले आउटपुट/परिणाम की समीक्षा होगी।

दिशानिर्देशों में उपर्युक्त प्रावधान के आंशिक संशोधन में, समिति ने कहा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार केंद्रीय हिस्सा प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एसएनए खाते में केंद्रीय हिस्से के साथ-साथ राज्य के आनुपातिक हिस्से को हस्तांतरित करेगी।

इसके अलावा, 01.04.2023 से एसएनए खाते में केंद्रीय हिस्से के हस्तांतरण में 30 दिनों से अधिक की देरी पर प्रतिदिन 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रभारित करने का निर्णय लिया गया है। पीएफएमएस प्रभाग, सीजीए कार्यालय, भारत की संचित निधि में संबंधित राज्य सरकार द्वारा दंडात्मक ब्याज जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगा।

इसी तरह, केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिनका शत-प्रतिशत वित्त पोषण और निगरानी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, निधियों के प्रवाह की प्रक्रिया 2022-23 के दौरान पीएफएमएस, पोर्टल पर ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल के तहत सी ए एन (केन्द्रीय नोडल एजेंसी) शुरू करके संशोधित की गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 9.3.2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, ₹ 500 करोड़ से अधिक के परिव्यय और राज्य एजेंसियों की भागीदारी के बिना कार्यान्वित सीएस योजनाओं के मामले में, संबंधित मंत्रालय/ विभाग एक स्वायत्त निकाय को सीएनए के रूप में नामित करेगा और प्रत्येक योजना के लिए सीएनए भारतीय रिजर्व बैंक में ई- कुबेर प्रणाली में एक खाता खोलेगा। पीएफएमएस पर यह प्रणाली डिजिटल और पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणाली है। शेष प्रक्रिया एसएनए के समान है। उक्त आदेश में कुछ छूट भी दी गई हैं।

2.8 समिति नोट करती है कि विभाग द्वारा वर्ष के 2023-24 लिए प्रस्तावित बजट अनुमान राशि, 1239.65 **करोड़ रूपये थी, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा घटाकर बीई 1,करोड़ 225.15 रुपये कर दिया गया। कथित तौर पर, व्यय संबंधी वित्त समिति (ईएफसी) ने 2021 में आडीपस, डीडीआरएस, सिपडा नामक केंद्र क्षेत्रक योजनाओं और छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित आवंटन और वास्तविक लक्ष्यों दोनों को 5 साल के लिए 2025-26 तक निश्चित कर दिया था। इसलिए समिति विभाग से यह आग्रह करती है कि वे निधियों के निरंतर अल्प उपयोग की समीक्षा करें और नियमित निगरानी तथा मूल्यांकन के साथ उचित उपाय करें ताकि विभाग की चारों योजनाओं के लक्ष्यों को 2025-26 तक निश्चित करने के ईएफसी के निर्णय के मद्देनजर आने वाले तीन वर्षों में शेष राशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।**

अध्याय-तीन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का सामान्य प्रदर्शन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) ने वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के साथ पिछले वर्षों के लिए बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय को दर्शाते हुए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**संशोधित अनुमान आवंटन के संबंध में व्यय का प्रतिशत**
2019-20	1204.90	1100	1016.18	92.38
2020-21	1325.39	900	861.63	95.73
2021-22	1171.77	1044.31	1009.45	96.66
2022-23	1212.42	1015.98	612.73 (13.02.2023 तक)	60.30
2023-24	1225.15			

3.2 एक विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

वर्ष 2020-21 से 2022-23 और बजट अनुमान-2023-24 के दौरान योजना-वार योजना परिव्यय और व्यय (करोड रू. में)

क्र.सं.	**योजनाओं के नाम**	**2020-21**			**2021-22**			**2022-23**			**2023-24**
		बीई	**आरई**	**एई**	**बीई**	**आरई**	**एई**	**बीई**	**आरई**	**एई ***	**बीई**
1	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों	230.00	195.00	189.13	220.00	180.00	198.70	235.00	230.00	146.01	245.00

	को सहायता (एडिप)										
2	दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)	130.00	85.00	83.18	125.00	105.00	100.90	125.00	105.00	58.60	130.00
3	दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से निकलने वाली योजनाएं (सिपडा)	251.50	122.89	103.43	209.77	147.31	108.44	240.39	100.00	29.20	150.00
4	दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	125.00	100.00	97.40	125.00	110.00	120.32	105.00	145.00-	87.97	155.00
5	इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर	4.00	4.00	3.99	एसआईपीडीए के अंतर्गत आमेलित						
	योजनाओं का कुल व्यय	**740.50**	**506.89**	**477.13**	**679.99**	**542.31**	**528.36**	**705.39**	**580.00**	**321.78**	**680.00**
	गैर-योजना कार्यक्रम परिव्यय और (करोड़ ₹ में)										
6	राष्ट्रीय न्यास को बजटीय सहायता	39.50	30.00	29.80	30.00	30.00	28.14	35.00	30.00	27.37	35.00
7	राष्ट्रीय संस्थान (एनआई)	360.00	260.75	256.81	319.00	332.50	329.49	365.00	310.00	207.77	385.00
8	भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	6.40	6.40	5.50	6.40

9	समावेशी और सार्वभौमिक डिजाइन के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना	0.01	00	00	0.01	00	00	0.01	0.00	0.00	0.01
10	पुनर्वास विज्ञान और दिव्यांगता अध्ययन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
11	दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना	100.00	19.50	18.93	53.41	40.00	39.80	60.00	56.00	15.91	76.00
12	कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम)एएलआईएम सीओ)	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	50.00	0.10	0.00	0.00	0.01
13	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी)	0.01	00	00	0.01	00	00	0.01	0.00	0.00	0.01
14	सचिवालय (अनुमानित	25.00	23.50	20.50	29.00	29.00	24.28	35.00	28.08	21.69	37.22

	व्यय)										
15	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त (अनुमानित व्यय)	4.86	3.86	2.96	5.06	5.00	3.88	5.50	5.50	2.21	5.50
	कुल गैर योजना	**584.89**	**393.11**	**384.5**	**491.78**	**502.00**	**481.09**	**507.03**	**435.98**	**280.28**	**545.15**
	सकल योग	**1325.39**	**900.00**	**861.63**	**1171.77**	**1044.31**	**1009.45**	**1212.42**	**1015.98**	**612.73**	**1225.15**
	***13.02.2023 तक**										

3.3 2019-20 से बजट अनुमान में लगभग स्थिर/नगण्य वृद्धि को देखते हुए, समिति ने इसके कारणों से अवगत होना चाहा, इसके जवाब में विभाग ने कहा कि:-

> "अगले पांच वर्षों तक जारी रखने हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा 11.08.2021 को आयोजित उनकी बैठक में एडिप, सिपडा, डीडीआरएस और छात्रवृत्ति नाम की केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के संबंध में बजट अनुमान 23-2024 की सिफारिश की गई थी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की संपूर्ण अवधि के लिए सभी चार योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन वित्तीय आवंटन तथा भौतिक लक्ष्यों के साथ किया गया है। अत: केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं का आवंटन अनुमोदित ईएफसी के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा विभाग की गैर-योजना व्यय के तहत राष्ट्रीय संस्थानों और दिव्यांगता केंद्रों के लिए अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।"

3.4 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान चरण में निधियों के संकुचन के आलोक में, समिति ने कमी के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में पूछताछ की। विभाग ने उत्तर में कहा है कि:-

"व्यय में कमी के प्रमुख कारण सीएनए मॉड्यूल का कार्यान्वयन, लंबित यूसीज और एनजीओज और कैपेक्स व्यय से पर्याप्त प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति है, पहली दो तिमाहियों में व्यय कम थीं, इसलिए एमओएफ ने आरई 2022-23 में आवंटन कम कर दिया है।"

3.5 पाठ्यक्रम सुधार के लिए किए गए/किए जा रहे अपेक्षित उपायों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नानुसार बताया है:-

"पीएफएमएस और सीजीए के साथ मामले को उठाने के बाद, सीएनए मॉड्यूल अब सभी केंद्र क्षेत्रक (सीएस) योजनाओं के तहत लागू किया गया है और अब सीएनए मॉडल-2 के माध्यम से धन जारी किया जा रहा है। लंबित यूसी और दोषपूर्ण दस्तावेजों के संबंध में, विभाग ने आईए/राज्यों/एनजीओ को कई डी.ओ पत्र लिखे हैं और समयानुसार निधियां जारी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वीसी आयोजित किए हैं।"

3.6 विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से यह देखा गया कि विभाग ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान संशोधित आवंटन का क्रमशः लगभग 92.38%, %95.73और 96.66% खर्च किया था। जबकि कोविड-19 महामारी ने वर्ष 2020-2021 के दौरान आवंटित राशि के उपयोग को प्रभावित किया, अन्य वर्षों में भी धन का पूर्ण उपयोग नहीं देखा जा सका। 2019-20 से वास्तविक व्यय में कमी के विशिष्ट कारणों की गणना करने के लिए कहने पर यह प्रस्तुत किया गया कि:-

"वास्तविक व्यय में मामूली कमी कई कारकों के कारण थी जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:-

क. प्रक्रिया को सुचारू बनाने, पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) द्वारा वितीय अनियमितताओं की जांच करने और एक मजबूत और सुरक्षित निधि प्रवाह तंत्र सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष कौशल प्रशिक्षण में एक कठोर बदलाव किया जा रहा है। पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अधिकांश ईटीपी की वैधता समाप्त हो चुकी है।

ख. सिपडा योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र) यूसी) प्राप्त नहीं हुए थे।

ग. एससी, एसटी और एनईआर श्रेणियों के तहत पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण, और

घ. पूंजीगत व्यय के तहत कम मांगों के कारण।"

3.7 समिति ने तब बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान ₹ 1212.42 करोड़ था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर ₹ 1015.98 करोड़ कर दिया गया था जबकि 13.02.2023 को वास्तविक व्यय ₹ 612.73 करोड़ था। उस संदर्भ में, समिति ने पूछा कि क्या मंत्रालय ₹ 403.25 करोड़ की शेष राशि का उपयोग करने में सक्षम होगा जो 31 मार्च 2023 (वित्तीय वर्ष 2022-23) तक संशोधित अनुमान का लगभग 60.30% है। विभाग ने कहा कि वे संपूर्ण संशोधित अनुमान आवंटन का उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। यह भी बताया गया कि आज की तारीख में विभाग की विभिन्न योजनाओं/गैर-योजनाओं में कई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं और उम्मीद है कि संपूर्ण संशोधित अनुमान आवंटन 31.03.2023 तक खर्च कर दिया जाएगा।

3.8 असमान व्यय पैटर्न के कारणों पर एक प्रश्न के उत्तर में, जहां विभाग 10 महीनों में बजट का लगभग 60 प्रतिशत उपयोग करने में कामयाब रहा, जबकि अंतिम 2 महीनों में व्यय का 40 प्रतिशत उपयोग किया जाना था, विभाग ने उत्तर दिया कि:-

> "इस विभाग के तहत सभी योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, जहां कार्यान्वयन एजेंसियों को धन जारी किया जाता है, जिससे विभाग को स्वयं केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अधीन जारी धन की निगरानी और उपयोग सुनिश्चित करना होता है। इसके अलावा, एसआईपीडीए, डीडीआरएस, एडीआईपी, छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय संस्थानों जैसी प्रमुख योजनाएं/गैर-योजनाएं राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/संस्थानों/एनजीओ और व्यक्तियों आदि से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मांग द्वारा संचालित हैं। आम तौर पर, पहली 2 तिमाहियों में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जिनकी जांच की जाती है जिसके परिणामस्वरूप अगली दो तिमाहियों में बजट का अधिकांश भाग जारी किया जाता है।"

3.9 बजट दस्तावेजों की जांच से पता चलता है कि विभाग बजट प्रभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा व्यय की अधिकतम सीमा अर्थात अंतिम तिमाही में 33% और वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में 15% को मानने में लगातार असफल हो रहा है। इस संबंध में, विभाग को 2022-23 के दौरान इस समस्या को दूर करने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों के साथ-साथ इन नियमों की अनदेखी को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। जवाब में, विभाग ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:-

"विभाग संपूर्ण आरई आवंटन का उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब तक, आईएफडी द्वारा लगभग %70 आवंटन पर सहमति दे दी गई है और विभाग की विभिन्न योजनाओं/गैर-योजनाओं में प्रस्तावों की संख्या प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, यदि आवश्यक हुआ, तो विभाग शेष आरई आवंटन का उपयोग करने के लिए उचित कारणों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही और अंतिम महीने में छूट/रियायत की मांग करेगा।"

3.10 सचिव ने खर्च में कमी को स्वीकार करते हुए भविष्य के वित्त पोषण के श्रेष्ठ उपयोग के लिए विभाग की योजना को निम्नानुसार रेखांकित किया:-

"मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि स्कॉलरशिप ,एडिप और डी डी आर एस में हमारी कमी नहीं रहेगी। अगर हमारे बजट का पूरा यूज नहीं होगा ,तो वह सिप्डा खाते में रहेगा ,लेकिन उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। बजट घटाया गया है। इस बजट को हम जरूर हासिल करने की चेष्टा करेंगे।"

3.11 विभिन्न योजनाओं के तहत 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक लक्ष्यों में समग्र उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

योजना का नाम	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**
	वास्तविक लक्ष्य	**उपलब्धि**	**वास्तविक लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**वास्तविक लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**वास्तविक लक्ष्य**
एडीआईपी	3.00लाख लाभार्थी	2.58लाख लाभार्थी	2.00लाख लाभार्थी	2.43लाख लाभार्थी	2.05लाख लाभार्थी	1.76लाख लाभार्थी	2.15लाख लाभार्थी
डीडीआर एस	42370	31542	40000	30173	40000	21230	40000
दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	44520	26067	44520	42131	44520	23702	44520

एसआई पीडीए के तहत कौशल प्रशिक्षण	8500	2918	22000	2911	17000	2391	17000

3.12 समिति ने विभाग द्वारा प्रशासित योजनाओं आदि के कार्यान्वयन के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करते समय अपनाए गए मानदंडों के बारे में जानना चाहा। उसके उत्तर में विभाग ने बताया कि व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए बजट आवंटन एवं वास्तविक लक्ष्य दोनों निर्धारित किये गये हैं।

3.13 उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि 2022-23 के दौरान कुछ प्रमुख योजनाओं में वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आई है। जब 2020-21 और 2021-22 के दौरान कई योजनाओं में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारणों को बताने के लिए कहा गया, तो विभाग ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:-

वर्ष	**कमी के कारण**
2020 -21	**एडीआईपी** -वर्ष भर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। **डीडीआरएस** -लागत मानदंडों में 2.5 गुना वृद्धि के कारण और बजट में कोई आनुपातिक वृद्धि नहीं होने के परिणामस्वरूप कम संख्या में परियोजनाओं को जारी किया गया और इसलिए लाभार्थियों की संख्या कम रही । **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति-** कोविड -19 महामारी के कारण **एसआईपीडीए के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना -** कोविड -19 संबंधित प्रतिबंधों के कारण, प्रशिक्षण अगस्त के अंत से पहले शुरू नहीं हो सका ।

2021 -22	**एडीआईपी** -कोई कमी नहीं **डीडीआरएस** -लागत मानदंडों में 2.5 गुना वृद्धि के कारण बजट में कोई आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप कम राशि परियोजनाओं को जारी की गई और इसलिए लाभार्थियों की संख्या कम रही । **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति-** उपलब्धि के आंकड़े में कमी मुख्य रूप से 2000 वार्षिक सीटों के साथ योजना के मुफ्त कोचिंग घटक के संचालन नहीं होने के कारण है। **एसआईपीडीए के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना** -प्रशिक्षण केंद्रों के सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया, लक्ष्यों का आवंटन और प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति केवल एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा मान्य केंद्रों पर या एसएमएआरटी के तहत दी गई थी और नई परियोजना के तहत प्रशिक्षण की अनुमति उन ईटीपीएस के लिए नहीं दी गई थी जो पिछली परियोजना पूरी नहीं कर पाए थे ।

3.14 मौजूदा प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने और विभिन्न योजनाओं के तहत लक्षित लाभार्थियों को सेवा की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित नई पहल की गई हैं:

(i) **एडीआईपी योजना:** नीति आयोग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) के माध्यम से तृतीय पक्ष द्वारा प्रभाव मूल्यांकन किया गया था। प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की टिप्पणियों और निष्कर्षों के आधार पर, योजना को संशोधित किया गया और कुछ प्रमुख संशोधन/परिवर्तन इस प्रकार हैं:-

क) सहायता और सहायक उपकरणों की पूर्ण सब्सिडी के लिए लाभार्थियों की आय सीमा को ₹15000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹22500 प्रति माह और 50 % सब्सिडी के लिए ₹20000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹30000 प्रति माह करना।

ख) सहायता और सहायक उपकरणों की लागत सीमा को ₹10000 से बढ़ाकर ₹15000 करना।

ग) मोटरयुक्त तिपहिया साइकिल और व्हीलचेयर के लिए सब्सिडी को मौजूदा 10वर्षों की अवधि में ₹ 25000 रुपये से बढ़ाकर 5 वर्षों पर ₹ 50,000 किया जाना है।

घ) ₹ 30000 की अधिकतम सीमा तक हाई एंड प्रोस्थेसिस का प्रावधान।

ङ) अस्थि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुधारात्मक सर्जरी की लागत सीमा को ₹ 10,000 से बढ़ाकर ₹ 15,000 करना ;नेत्रहीनों के लिए ₹ 2000 से ₹ 3000 और श्रवण बाधितों के लिए ₹ 1000 से ₹ 1500 तक करना।

च) 1से 5वर्ष की आयु के बीच भाषा-पूर्व श्रवण हानि वाले बच्चों के संबंध में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की लागत को ₹ 6.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 7.00 लाख और 5 -18 वर्ष के बीच श्रवण हानि वाले बच्चों के मामले में ₹ 6लाख तक बढ़ाया गया। वित्तीय सहायता दोनों मामलों में इम्प्लांट सर्जरी ,थेरेपी ,मैपिंग ,यात्रा लागत और प्री-इम्प्लांट मूल्यांकन की लागत को कवर करेगी।

(ii) **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (सिपडा) योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना:**

कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:

(क) निधि प्रवाह तंत्र में बदलाव
(ख) औचक निरीक्षण का प्रावधान
(ग) बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का प्रावधान
(घ) केंद्र दिशानिर्देशों का प्रावधान
(ङ) प्रक्रिया का सरलीकरण

इसके अलावा, निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी): प्रशिक्षण भागीदारों के आधार को मजबूत करने के लिए विभाग एसएससी के साथ भी जुड़ रहा है।
2. एमआईएस पोर्टल: ईटीपी के पैनल में शामिल होने की प्रणाली को आसान बनाने की दृष्टि से एक एमआईएस पोर्टल विकसित किया गया है।

3. कौशल प्रशिक्षण की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) को विभाग द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र के सत्यापन के संबंध में अधिकृत किया गया है।

4. विभिन्न मुद्दों पर ईटीपी के साथ नियमित आधार पर वेबिनार भी आयोजित किए जाते हैं।

5. फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन के साथ समझौता ज्ञापन: ई-कॉमर्स क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दोनों कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन।

6. एसआईपीडीए के तहत राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) को पीएम-दक्ष पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा।

(iii) **राष्ट्रीय न्यास:**

क) स्थानीय परियोजना समिति (एलपीसी) का गठन :एलपीसी के गठन का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों की समग्र सुरक्षा और उनको मुख्य धारा में लाना सुनिश्चित करना ,राष्ट्रीय न्यास से जारी धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करना और समुदाय को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत आने वाले दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के बारे में संवेदनशील बनाना है। सदस्यों द्वारा एलपीसी की पहली बैठक में एलपीसी के अध्यक्ष का फैसला किया जाएगा।

ख) निगरानी तंत्र -केंद्र आधारित सभी योजनाओं के लिए एक निगरानी तंत्र है। इसके तहत योजना प्रबंधन प्रणाली के मॉनिटरिंग डॉकेट में परियोजना धारक द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर महत्वपूर्ण मापदंडों की जानकारी ऑनलाइन प्रदान की जाती है।

ग) कोविड 19-के दौरान केंद्र आधारित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी करना -राष्ट्रीय न्यास ने कोविड 19-के दौरान केंद्र आधारित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(iv) **राष्ट्रीय संस्थान:** व्यय विभाग ने इस विभाग के तहत स्वायत्त निकायों की समीक्षा की और एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कार्यों में तालमेल बिठाने, ठोस परिणाम सुनिश्चित करने, संसाधनों और कार्मिक-पूर्ति पर बचत करने की दृष्टि से इन निकायों के युक्तिकरण का सुझाव दिया। अंतर-विभागीय परामर्श के बाद, 'कैबिनेट के लिए नोट' के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया और जुलाई 2022 में कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ को भेजा गया। इसके बाद, डीईपीडब्ल्यूडी को पीएमओ से कैबिनेट नोट वापस लेने का निर्देश मिला, जिसके बाद 11/11/2019 को पीएमओ से 07/2022 को औपचारिक पत्राचार द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए:-

क) संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से प्रस्ताव की जांच की जांच कि दिव्यांगजन क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के बीच समन्वय तंत्र को कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि अधिक तालमेल हो सके और बेहतर परिणाम मिल सकें।

ख) मामले पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ-साथ अन्य हितधारकों के साथ चर्चा की जाए।

पीएमओ के निर्देशों, जैसा कि पिछले पैरा में उल्लेख किया गया है, का विभाग द्वारा पालन किया जा रहा है और विभाग राज्य सरकारों और अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श कर रहा है।

3.15 समिति पाती है कि उपयोग प्रमाण पत्र और विभिन्न राज्यों/ कार्यान्वयन भागीदारों से एससी, एसटी और एनईआर श्रेणियों के तहत व्यवहार्य पर्याप्त प्रस्ताव की गैर-प्राप्ति/ देर से प्राप्ति के कारण पिछले वर्षों में निधियों का कम उपयोग हुआ है। समिति विभाग द्वारा किए गए विभिन्न उपायों को ध्यान में रखती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पीएफएमएस के माध्यम से धन के प्रवाह की निगरानी, प्रत्यक्ष दौरे, कार्यान्वयन एजेंसियों/ राज्य सरकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा समीक्षा बैठकें, वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की बैठकों आदि से नियमित तौर पर विभिन्न योजनाओं के तहत

व्यय की निगरानी शामिल है। आबंटित निधियों के अधिकतम उपयोग के लिए, समिति महसूस करती है कि इन प्रयासों का परिणाम बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और राज्यों से अच्छे प्रस्तावों की समय पर प्राप्ति के रूप में होगा, इसलिए यह अपेक्षित है कि सभी बाधाओं को दूर करने और इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। समिति ने नोट किया है कि 1.4.2022 से केंद्रीय नोडल एजेंसी (सी एन ए) मॉडल की शुरुआत से पीएफ़एमएस पोर्टल पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधि के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया बनाई गई है, जिसे अगस्त, 2022 में अंतिम रूप दिया गया है। यह स्वीकार करते हुए कि मौजूदा प्रक्रियाओं और कार्यविधियों में बदलाव को नियमित होने में समय लगता है, समिति विभाग से इसकी सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में सीएनए मॉडल के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं में तेजी लाने का आग्रह करती है ।

अध्याय – चार

सहायक उपकरणों/ उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता (एडिप)

योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थानों/ समग्र क्षेत्रीय केंद्रों/ भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ)/ जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों / राज्य दिव्यांग विकास निगमों / अन्य स्थानीय निकायों/ एनजीओ) को दिव्यांग व्यक्तियों पर दिव्यांगता के प्रभावों को कम करने और साथ ही उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से निर्मित मानक सहायक उपकरणों की खरीद में दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना है। कार्यान्वयन एजेंसियों को कैंप गतिविधि और मुख्यालय गतिविधि के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग करके देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। व्यक्तियों को स्वयं कार्य करने के स्तर में सुधार लाने और दिव्यांगता की बाधा को रोकने और द्वितीयक दिव्यांगता को रोकने के उद्देश्य से सहायक उपकरण दिए जाते हैं। योजना के तहत आपूर्ति की जाने वाली सहायक सामग्री और उपकरणों का उचित प्रमाणीकरण होना चाहिए। इस योजना में सहायक उपकरण प्रदान करने से पहले, जब भी आवश्यक हो, सुधार करने की भी परिकल्पना की गई है। योजना को 01.04.2022 से संशोधित किया गया है । ईएफ़सी ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए एडीआईपी योजना के तहत आवंटन को ₹ 1,176.00 करोड़ नियत कर दिया है। जिनका विवरण इस प्रकार है :-

	(₹ करोड़ में)
वर्ष	ईएफसी द्वारा एडीआईपी के लिए तय किया गया आवंटन
2021-22	261
2022-23	235
2023-24	245
2024-25	255
2025-26	261
कुल	**1176**

4.2 इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:-

क) 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

ख) शत-प्रतिशत रियायत के लिए सभी स्रोतों से मासिक आय ₹ 22,500/- प्रति माह और 50% रियायत के लिए ₹ 22,501/- से ₹ 30,000/- प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ग) उसी उद्देश्य के लिए नए सहायक उपकरण की आपूर्ति केवल 3 वर्षों के बाद ही की जाएगी। हालाँकि, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1 वर्ष के बाद इसकी आपूर्ति की जा सकती है।

घ) अनाथालयों और आश्रय स्थल में रहने वाले लाभार्थियों का आय प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर या संबंधित संगठन के प्रमुख द्वारा प्रमाणीकरण पर स्वीकार किया जाएगा।

4.3 विभाग ने एडिप योजना के तहत पिछले 3 वर्षों के लिए किए गए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय (एई) और 2023-24 के लिए बजट अनुमानों को दर्शाते हुए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है:-

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2019-20	230.00	222.50	213.83
2020-21	230.00	195.00	189.13
2021-22	220.00	180.00	198.70
2022-23	235.00	230.00	146.01 (24.01.2023 तक)
2023-24	245.00	-	-

4.4 प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि वर्ष 2019-20 के लिए एडिप योजना के तहत 230.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी लेकिन संशोधित अनुमान को घटाकर 222.50 करोड़ रुपये कर दिया गया था जबकि वास्तविक व्यय 213.83 करोड़ रुपये था। वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान 230.00 करोड़ रुपये था, संशोधित अनुमान 195.00 करोड़ रुपये था जबकि वास्तविक व्यय 189.13 करोड़ रुपये ही था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, बजट अनुमान को पिछले वित्तीय वर्ष से घटाकर 220.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था और संशोधित अनुमान को अत्यधिक कम करके 180.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था, हालांकि खर्च 198.70 करोड़ रुपये था। 2022-23 के लिए 235 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 230 करोड़ रुपये कर दिया गया, जबकि 24.01.2023 तक वास्तविक व्यय केवल 146.01 करोड़ रुपये था, जो संशोधित अनुमान आवंटन का लगभग 63% है।

4.5 कमी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नानुसार बताया:-

"2019-20 के लिए बजट आवंटन 230.00 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर 222.50 करोड़ रुपये कर दिया गया था। वर्ष के दौरान, 222.50 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान

आवंटन के विरुद्ध, *213.83* करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी जो आवंटन का 96% है। पूरे संशोधित अनुमान आवंटन का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि आम चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पर्याप्त शिविर आयोजित नहीं किए जा सके। इसके अलावा, कोविड-*19* महामारी के कारण, वर्ष के अंत में धन जारी नहीं किया गया क्योंकि मार्च, *2020* में सहायक उपकरणों का वितरण संभव नहीं था। वर्ष *2020-21* में, बजट आवंटन ₹ 230.00 करोड़ था जिसे कोविड-19 महामारी और पूरे देश में लॉकडाउन के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर ₹ 195.00 करोड़ तक कम कर दिया गया था। शिविरों को 13.03.2020 से स्थगित कर दिया गया था। इसलिए, कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण, जिसने बड़े शिविरों के आयोजन को सीधे प्रभावित किया और इन पर रोक लगा दी, संपूर्ण संशोधित अनुमान आवंटन जारी नहीं किया जा सका। वर्ष *2021-22* में, व्यय संबंधी वित्त समिति की सिफारिशों के अनुसार 5 वर्षों के लिए अर्थात 2021-22 से 2025-26 तक कुल वित्तीय परिव्यय का संशोधित अनुमान आवंटन किया गया। तदनुसार, संशोधित अनुमान आवंटन ₹ 180.00 करोड़ निर्धारित किया गया था। 2022-23 के दौरान, सी एन ए मॉडल की शुरुआत करके पीएफ़एमएस पोर्टल पर केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत धन के प्रवाह की प्रक्रिया को संशोधित किया गया है। इसलिए, एडीआईपी योजना के तहत पहली और दूसरी तिमाही में जारी की गई धनराशि का, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा धन के उपयोग के लिए बने पोर्टल में तकनीकी कठिनाइयों के कारण ठीक से उपयोग नहीं किया जा सका।"

4.6 समिति द्वारा विभाग से अंतिम तिमाही के लिए अव्ययित धन का एक बड़ा हिस्सा छोड़ने के विशिष्ट कारणों को बताने और निर्धारित समय के भीतर निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विभाग की सक्षमता के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नवत एक लिखित उत्तर दिया:-

"चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉडल की शुरुआत करके पीएफ़एमएस पोर्टल पर केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत निधि के प्रवाह की प्रक्रिया को संशोधित किया गया है, जिसे अगस्त, 2022 में ही अंतिम रूप दिया गया था। इसलिए, निधियों के उपयोग के लिए बनी पोर्टल के उपयोग में पोर्टल में तकनीकी कठिनाइयों के कारण एडीआईपी योजना के तहत जारी की गई निधियों का कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पहली और दूसरी तिमाही में उचित उपयोग नहीं किया जा सका।"

4.7 हालांकि, समिति को आश्वासन दिया गया था कि ₹ 85.06 करोड़ की अव्ययित शेष राशि को, जारी करने के लिए कई प्रस्तावों को अनुमोदन मिलने वाला है। इसलिए, बजट अनुमान 2022-23 में इस मद के

तहत आवंटित पूरी निधि का उपयोग किया जा सकता है। मामले का विस्तृत विवरण देते हुए विभाग के सचिव ने साक्ष्य के रूप में समिति के समक्ष निम्नवत बताया:-

"महोदय, इसमें भी हम जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हम लोग 230 करोड़ रुपये तक खर्च पर रुकने वाले नहीं हैं, हम 270 करोड़ रुपये के आस-पास खर्च करने का प्रयास कर रहे हैं।"

4.8 यह पूछे जाने पर कि क्या वित्तीय वर्ष के अंत तक 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभाग के पास पर्याप्त गतिविधियों की योजना तैयार हैं, विभाग ने अपने उत्तर में कहा:-

"हाँ, पात्र दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करना निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मुख्यालय गतिविधि, शिविर गतिविधि, कॉक्लियर इम्प्लांट और समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्यम से देने की योजना में हैं। यह भी बताया गया कि विभाग ने देश भर में 17.09.2022 और 14.01.2023 को एक-एक दिन के कई शिविरों का आयोजन किया था, जिसमें क्रमशः 29,000 से अधिक दिव्यांगजनों और 50,000 दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान किए गए थे। अब, विभाग योजना के अंतर्गत सहायक उपकरणों के वितरण के लिए मार्च, 2023 के महीने में कई शिविर आयोजित करने की योजना बना रहा है।"

4.9 समिति ने पाया कि 2023-24 के लिए योजना के तहत बजट अनुमान के ₹ 245 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में ₹ 15 करोड़ अधिक है। बढ़ी हुई राशि का उपयोग करने के लिए विभाग की तैयारियों के संबंध में एक लिखित उत्तर के माध्यम से समिति को निम्नानुसार सूचित किया गया:-

गतिविधि	आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में)	कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या
शिविर/मुख्यालय गतिविधि	145.00	172500
ए डी आई पी-एसएसए	40.00	41500
कॉकलीयर इम्प्लांट	60.00	1000
कुल	245.00	215000

4.10 वर्ष 2023-24 के दौरान शिविरों के माध्यम से लाभार्थियों के आकलन की मौजूदा प्रणाली के अलावा, पूरे देश में ऑनलाइन (अर्जुन पोर्टल) माध्यम से भी लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा। इसलिए,

एडीआईपी योजना के तहत सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए अधिक संख्या में लाभार्थियों को पंजीकृत कर उनकी पहचान की जाएगी और सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ, तो अतिरिक्त निधि के लिए अनुरोध संशोधित अनुमान चरण में किया जाएगा।

4.11 पिछले तीन वर्षों से एडिप योजना के तहत वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धि से संबंधित जानकारी इस प्रकार है:-

वर्ष	**वास्तविक लक्ष्य**	**उपलब्धि**
2020-21	3.00 लाख लाभार्थी	2.58 लाख लाभार्थी
2021-22	2.00 लाख लाभार्थी	2.43 लाख लाभार्थी
2022-23	2.05 लाख लाभार्थी	1.76 लाख लाभार्थी (दिनांक 31.1.2023 की स्थिति के अनुसार)
2023-24	2.15 लाख लाभार्थी	-

4.12 वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में, ऊपर दी गई तालिका (पृष्ठभूमि नोट अनुबंध II) से यह देखा जाता है कि वर्ष 2020-21 के लिए, एडिप योजना के तहत, 3 लाख लाभार्थियों की सहायता का लक्ष्य वास्तविक मे 2.58 लाख था। विभाग ने कहा है कि यह पूरे वर्ष कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण था। 2021-22 में यह उपलब्धि 2 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य की तुलना में 2.43 लाख थी। 2022-23 के लिए लक्ष्य 2.05 लाख निर्धारित किया गया है और 24.01.2023 तक उपलब्धि 1.40 लाख सहायता प्रदत्त लाभार्थी हैं। वर्ष 2023-24 के लिए, लक्ष्य 2.15 लाख रखा गया है।

4.13 विशेषकर यह देखते हुए कि कोविड महामारी ने पिछले वर्ष के दौरान योजना के दायरे को गंभीर रूप से सीमित कर दिया था ,वर्ष 2021-22 के दौरान लक्ष्य को लगभग 35% तक कम करने के कारण के उल्लेख पर एक विशेष प्रश्न के संबंध में , विभाग यह सूचित करता है कि:-

"विभाग ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण लक्ष्य रखे, जिसने जिलों में बड़े शिविरों के आयोजन को सीधे प्रभावित और प्रतिबंधित कर दिया। "

4.14 वर्ष 2022-23 और फिर वर्ष 2023-24 के दौरान लक्ष्य के नगण्य वृद्धि के विशिष्ट कारण के संबंध में पूछे गए विशेष कारणों के संबंध में, विभाग ने यह सूचित किया है कि:-

"संशोधित योजना में सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की लागत में वृद्धि की गई थी जिसके परिणामस्वरूप आवंटित बजट की तुलना में लाभार्थियों का कवरेज कम था।"

4.15 वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थियों के संदर्भ में अब तक 1.40 लाख को सहायता प्राप्त हुई है। विभाग 2.05 लाख के लक्ष्य को प्राप्त करने की सक्षमता और उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए जा रहे कदम के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के संबंध में , विभाग ने यह सूचित किया है कि:-

"1.76 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं जो वास्तविक लक्ष्यों का 85.85% है। विभाग इस योजना के तहत मार्च, 2023 के महीने में सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए कई शिविरों के आयोजन की योजना बना रहा है। इस प्रकार, लक्ष्य को 31.03.2023 तक हासिल कर लिया जाएगा।"

4.16 यह कहा गया है कि विभाग ने मोटर चालित तिपहिया साइकिल और व्हीलचेयर के लिए सब्सिडी को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है, जो मौजूदा 10 वर्षों के स्थान पर 5 वर्षों में एक बार प्रदान की जाएगी। कुल लागत के सब्सिडी के प्रतिशत और लाभार्थी द्वारा उक्त सहायता को प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में पूछे गए प्रश्न के संबंध में, समिति को यह सूचित किया गया था कि:-

	मोटर चालित तिपहिया			मोटर चालित व्हीलचेयर		
आय की अधिकतम सीमा	एमटीसी की लागत	मोटराईज्ड तिपहिया साइकिल पर सब्सिडी	सब्सिडी मोटराईज्ड तिपहिया साइकिल का प्रतिशत	मोटराईज्ड व्हील कुर्सियों की लागत	मोटराईज्ड व्हील चेयर पर सब्सिडी।	मोटराईज्ड व्हील चेयर का सब्सिडी प्रतिशत
22,500/- रुपये प्रति माह तक	42,000/- रुपये	42,000/- रूपये	100%	72,000/- रुपये	50,000/- रुपये	69.44

4.17 इन उपकरणों को प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को कम से कम 80% दिव्यांगता के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र और 100% सब्सिडी के लिए 22,500 रुपये प्रति माह की सीमा के साथ आय

प्रमाण पत्र और 50% सब्सिडी के लिए 30,000 रुपये प्रति माह की आय सीमा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

4.18 यह विशिष्ट प्रश्न कि दिव्यांगता प्रतिशत के प्रावधानों में कटौती अथवा आय सीमा में कटौती के संबंध में लाभार्थियों को कुछ राहत उपलब्ध कारणे की कोई योजना थी, के उत्तर में सचिव ने समिति के समक्ष यह साक्ष्य दिया:-

> "किसी-किसी स्कीम में, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट वगैरह में लिमिट ज्यादा है, पर सभी तरफ लिमिट बढ़ाने की जरूरत है। कई जगहों पर हमने 40 प्रतिशत, 80प्रतिशत इत्यादि दिव्यांगता की लिमिट लगाई है। उस पर भी हमारी इंटर्नल चर्चा जारी है और स्वास्थ्य विभाग के साथ भी हमारी चर्चा जारी है कि क्या हम इस लिमिट को कम कर सकते हैं। सर, कहीं-कहीं इन्कम लिमिट को कम करेंगे और जहां 80 प्रतिशत दिव्यांगता की लिमिट है, उसे घटाकर 40 प्रतिशत या 60 प्रतिशत पर ले आएंगे।। सर, हम अपने 6-7 योजनाओं में से दो-तीन में तो इन्कम लिमिट को कम कर पाएंगे और सभी 6 योजनाओं में हम यह कर पाएंगे, इसका कमिटमेंट मैं अभी नहीं कर सकता।"

4.19 एडिप योजना के अंतर्गत कार्यान्वयनकर्ता प्रदान किए जाने वाले सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के गुणवत्ता नियंत्रण का उचित प्रमाणन होना चाहिए। इसके अलावा, एलिम्को इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का निर्माण/वितरण करने वाली प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है। एलिम्को द्वारा अपनाए गए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय निम्नानुसार हैं:

- आने वाली सामग्री, इन-प्रोसेस और अंतिम उत्पादों के लिए एक सुसज्जित परिभाषित इन-हाउस बहु स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण जांच प्रणाली।
- भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), भारत सरकार का एक संगठन, द्वारा 16 तेजी से बढ़ते उत्पादों की तिमाही गुणवत्ता जांच। वित्त वर्ष 2019-20 से क्यूसीआई द्वारा प्रमाणित संतोषजनक गुणवत्ता अनुपालन।
- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) का प्रमाणन और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) का प्रमाणन अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से आईएसओ 9001-2015 और आईएसओ 14001-2015.
- सहायक यंत्रों और उपकरणों की 19 श्रेणियों के लिए बीआईएस प्रमाणन।

- जहां कहीं भी उपलब्ध हो, आईएसआई चिह्नित सामग्री की खरीद।
- नए गुणवत्ता जांच उपकरणों/मशीनरी के सेट-अप के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण का उन्नयन।
- प्रक्रिया नियंत्रित वातावरण में भागों और घटकों के उत्पादन के लिए अत्याधुनिक सीएनसी मशीन और स्वचालित संयंत्रों की शुरूआत।
- शिविर स्थलों पर क्लोस्ड बॉडी कंटेनरों द्वारा परिवहन।

4.20 समिति ने दोषपूर्ण या खराब गुणवत्ता वाले उपकरणों और उपकरणों को बदलने की विधि जानना चाहती थी। विभाग ने अपने उत्तर में समिति को आश्वासन दिया कि:-

"जबकि, दिव्यांग व्यक्तियों) पीडब्ल्यूडी (को वितरित सहायक उपकरण आम तौर पर उच्च गुणवत्ता के होते हैं फिर भी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसियां वितरण की तारीख से 01 वर्ष तक दोषपूर्ण सहायता समाग्रीयों/उपकरणों की मरम्मत/बदलने का ध्यान रखती है। इसके अलावा, कृत्रिम अंग निर्माण निगम) एलिम्को (दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है, यदि किसी लाभार्थी द्वारा सहायता और सहायक उपकरणों में कोई दोष बताया जाता है, तो पीडब्ल्यूडी की सुविधा के लिए निगम के निकटतम केंद्र में दोष को ठीक करने के लिए तत्काल उचित कार्रवाई की जाती है। सहायता और सहायक उपकरणों की गुणवत्ता से संबंधित किसी भी बड़ी समस्या की स्थिति में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए एलिम्को में एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। सहायता और सहायक उपकरणों की मानकीकृत गुणवत्ता का अनुपालन करने में विफल रहने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। इसी तरह की व्यवस्था अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के केंद्रों पर उपलब्ध है। इसके अलावा यह सूचित किया गया कि सहायक/ सहायता उपकरणों की मरम्मत/बदलने का अनुरोध अर्जुन पोर्टल पर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को भी किया जा सकता है।"

4.21 'अर्जुन' पोर्टल के बारे में आगे बताते हुए, मंत्रालय ने सूचित किया कि एडीआईपी योजना के लिए अर्जुन एडीआईपी-एमआईएस पोर्टल औपचारिक रूप से 15 सितंबर, 2022 से शुरू किया गया था। इसे सी-डैक के माध्यम से विकसित किया गया है जो लाभार्थी डेटा की वास्तविक

समय निगरानी की सुविधा प्रदान करता है और लाभार्थियों के दोहराव को रोकता है और जांचता है। इसमें नए उपकरणों/मरम्मत के लिए लाभार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण, शिकायतें दर्ज करना और डेटा प्रबंधन और अनुपालन में कार्यान्वयन एजेंसियों की सुविधा भी शामिल है। योजना के तहत डेटा प्रबंधन में सुधार लाने के तरीके के बारे में पूछे जाने पर, समिति को अवगत कराया गया कि 2014 के बाद से सभी एडीआईपी लाभार्थी डेटा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। यह लाभार्थियों के दोहरेपन की जांच करने, लाभार्थियों के डेटा को ऑनलाइन जमा करने और लाभार्थी डेटा के रिकॉर्ड में विलम्ब और डिजिटलीकरण को कम करने की सुविधा प्रदान करता है। वर्ष 2014 से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली सभी कार्यान्वयन एजेंसियों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है और लाभार्थियों के आंकड़े अपलोड कर रही हैं। अब तक पोर्टल के माध्यम से 1465 लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं।

4.22 विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान सामना की जाने वाली चुनौतियों के संबंध में, यह सूचित किया गया है कि कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को दूरदराज के क्षेत्रों में लाभार्थियों के डेटा को अपलोड करते समय प्रायः कुछ नेटवर्क के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पोर्टल पर वितरण और डेटा फीडिंग की तारीख में समय अंतराल होता है और जिससे वास्तविक समय पर निगरानी प्रभावित होती है। यह योजना व्यापक रूप से लाभार्थियों को कम साक्षर कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करती है, अधिकांश लाभार्थियों को सहायक सामग्री और उपकरणों के लिए ऑनलाइन मोड को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

4.23 एडीआईपी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समिति को निगरानी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई है:-

(i) यह योजना डीबीटी भारत पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

(ii) मंत्रालय की दिव्यांगता संबंधी योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त संगठनों का निरीक्षण, निगरानी और मार्गदर्शन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय संस्थानों के अधिकारियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का आवंटन किया गया है।

(iii) सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (सीपीएमयू) को विभाग द्वारा निरीक्षण, गुणवत्ता मापदंडों की निगरानी और रिपोर्ट तैयार करने, डेटा विश्लेषण आदि के लिए बनाया गया है।

(iv) एडिप योजना के तहत, किसी विशेष कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर अनुदान जारी किए जाते हैं। अनुशंसित प्राधिकरण संगठन को पिछले अनुदान से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की 15 प्रतिशत (10 लाख रूपये तक की जीआईए के मामले में) और 10 प्रतिशत (10.00 लाख रूपये से अधिक जीआईए के मामले में) जांच/नमूना जांच का आयोजन भी करता है।

(v) संगठनों को उन्हें जारी पिछले अनुदान के संबंध में लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक है।

(vi) एडिप योजना के तहत, कार्यान्वयन एजेंसियों को एक वेबसाइट का भी अनुरक्षण करना चाहिए और प्राप्त, उपयोग की गई अनुदानों का विवरण, उपयोग और लाभार्थियों की सूची के साथ फोटो और राशन कार्ड नंबर/वोटर आईडी नंबर/आधार कार्ड नंबर अपलोड करना चाहिए, जैसा भी मामला हो। (सरकार के निर्देशों के अनुसार, आधार नंबर हालांकि प्राप्त किया जाता है लेकिन प्रदर्शित नहीं किया जाता है)।

(vii) ई-अनुदान पोर्टल पर गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को ऑन लाइन प्रस्तुत करना और प्रोसेस करना।

(viii) नीति आयोग पोर्टल (एनजीओ दर्पण) पर एनजीओ का अनिवार्य पंजीकरण

(ix) पीएफएमएस के ईएटी (व्यय अग्रिम अंतरण) मॉड्यूल के माध्यम से सहायता अनुदान का उपयोग।

(x) कार्यान्वयन एजेंसियां जागरूकता, मूल्यांकन और अनुवर्ती शिविरों के संचालन के लिए प्रशासनिक/ओवरहेड खर्चों के रूप में सहायता-अनुदान का 5 प्रतिशत उपयोग करेंगी। मेगा शिविरों के लिए जहां लाभार्थियों की संख्या 1000 और उससे अधिक है और शिविरों में कैबिनेट/राज्य मंत्री (एसजेएंडई)/मुख्यमंत्रियों द्वारा भाग लिया जाता है, इस योजना के तहत अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की अनुमति है।

4.24 समिति ने यह पाया है कि दिव्यांगजन को सहायक उपकरण और सुधारात्मक शल्य चिकित्सा प्रदान करके सहायक सामग्री/उपकरणों की खरीद/फिटिंग (एडिप) के लिए सहायता उनके सशक्तीकरण के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है। समिति नोट करती है कि एडिप के तहत वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के रूप में 235.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर 230.00 करोड़ रुपये किया गया और वास्तविक व्यय अब तक 146.01 करोड़ रुपये है। वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान के रूप में 245.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप और सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण प्रतिबंधों, जिन्होंने योजना के संपूर्ण विनिर्माण और वितरण तंत्र को बाधित कर दिया, को व्यय में कमियों के लिए कारण बताया गया है। विभाग की वाजिब कठिन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, चूंकि सहायक सामग्री और उपकरणों के वितरण के साथ-साथ शिविरों के आयोजन के लिए बड़ी संख्या को निलंबित कर दिया गया था, समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह अब वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 245 करोड़ रूपए के बजट अनुमान के आवंटन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान शिविरों, कार्यक्रमों आदि को नियमित रूप से आयोजित करने के लिए विशेष अभियान चलाये। विभाग ने समिति को इस वर्ष शिविर आयोजित करने की अपनी भावी योजना के बारे में भी सूचित किया है। इस संबंध में, समिति यह सिफारिश करती है कि शिविरों आदि के आयोजन के अतिरिक्त, विभाग को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर और अधिक बल देना चाहिए जिससे दिव्यांगजन अधिक से अधिक संख्या में इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं से परिचित हों और उक्त योजना का लाभ उठा सकें । समिति का सुझाव है कि विभाग पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तरह राष्ट्रीय अवकाश/त्यौहार/ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आदि जैसे कुछ दिनों के दौरान देशभर में एक साथ शिविरों का

आयोजन कर सकता है जिससे इसके बारे में एक सार्वजनिक धारणा बनाई जा सके और ऐसे शिविरों में अधिक से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

4.25 समिति 15 सितंबर, 2022 से एडिप योजना के लिए 'अर्जुन एडिप -एमआईएस' पोर्टल शुरू करने के लिए विभाग की पहल की सराहना करती है। सी-डैक के माध्यम से विकसित, यह पोर्टल न केवल लाभार्थी के डेटा की वास्तविक समय पर निगरानी करेगा अपितु लाभार्थियों के दोहराव को रोकेगा और उसकी जांच भी करेगा । इसके अलावा, इसमें नए उपकरणों/उनकी मरम्मत और शिकायत दर्ज करने के लिए लाभार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण भी शामिल है और यह डेटा प्रबंधन और अनुपालन में कार्यान्वयन एजेंसियों को सुविधा प्रदान करता है। समिति को विश्वास है कि इसके लागू होने के बाद यह पहल समान आवंटन करने और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सटीक संख्या तक पहुंचने के लिए डिसएबेलिटी के आंकड़ों के रखरखाव और तैयार करने में स्वागत योग्य परिवर्तन लाएगी।

अध्याय-पांच

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) में उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों को शुरु करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (सिपडा) के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, लागू कर रहा है। एसआईपीडीए एक प्रमुख "केंद्रीय क्षेत्र योजना" है जिसमें 11.08.2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक के दौरान संशोधन के बाद 10 उप-योजनाएं शामिल हैं। सिपडा योजना को 2021-22 से 2025-26 तक संशोधन करके और जारी रखने के लिए ईएफसी (व्यय वित्त समिति) की सिफारिशों के अनुरूप माननीय वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है।

5.2 निम्नलिखित 10उप-योजनाएं /घटक समावेशी सिपडा योजना के तहत हैं:-

क) दिव्यांगजन के लिए अवरोध मुक्त परिवेश

ख) सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)

ग) दिव्यांगजन के लिए कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना:

घ) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना जागरूकता सृजन और प्रचार (एजीपी) के साथ केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदीकरण।

ङ) दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अध्ययन और अनुसंधान के लिए और दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए उपयुक्त उत्पाद, सहायक उपकरणों के अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सहायता ।

च) स्पाइनल इंजरी सेंटरों को सहायता, स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटर (एसएसआईसी) और भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर (आईएसआईसी) उप-योजनाओं के विलय के बाद नया नाम।

छ) क्रॉस दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र

ज) सिपडा के तहत 'परियोजनाओं' के रूप में उप-योजना (एक) एनआईईपीवीडी, देहरादून के माध्यम से ब्रेल प्रेस स्कीम को एक परियोजना के रूप में जारी रखा गया है। (ii) देश के पांच क्षेत्रों में विद्यमान बधिर कॉलेजों को वित्तीय सहायता एवाईजेएनआईएसडी मुंबई के माध्यम से एक परियोजना के रूप में जारी रखी गई है।

झ) 10 केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) और डेटा स्ट्रेटेजिक यूनिट (डीएसयू)।

5.3 योजना के संशोधन के संबंध में, समिति को सूचित किया गया कि सिपडा के तहत एक नई उप-योजना "केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) और डेटा स्ट्रेटेजिक यूनिट (डीएसयू)" वित्त वर्ष 2022-23 से शुरू की गई है। इस उप-योजना के तहत सिपडा की सभी उप-योजनाओं सहित विभाग की सभी योजनाओं की निगरानी के लिए 14 सलाहकारों को लगाया गया है।

5.4 समिति को अवगत कराया गया कि सिपडा की सर्व समावेशी योजना के अंतर्गत उप-योजनाओं के लिए निधियों का आवंटन सिपडा के समग्र बजट से उप-योजनाओं द्वारा उठाई गई संबंधित मांगों के आधार पर किया जाता है। किसी विशेष उप-योजना के बजट आवंटन को तय करने के लिए व्यापक पैरामीटर पिछले वर्ष के प्रदर्शन और संबंधित उप-योजना की वर्तमान वर्ष की मांग, सिपडा की सर्व समावेशी योजना के लिए समग्र बजट आवंटन, कोई अन्य विशेष परिस्थितियां (यदि कोई हो) आदि हैं। सिपडा की प्रत्येक उप-योजना में कुल व्यय के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश और एक अलग कार्यक्रम प्रभाग होता है। प्रत्येक उप-योजना का कार्यक्रम प्रभाग संगत प्रस्तावों के लिए भविष्य में जारी की जाने वाली निधियों को ध्यान में रखते हुए निधि की आवश्यकता का आकलन और पूर्वानुमान करता है। यह सिपडा के निधि आवंटन की एक आंतरिक प्रक्रिया है। यदि एक उप-योजना में धन की कमी है जबकि दूसरी में अधिशेष है, तो सिपडा के समग्र बजट के इष्टतम उपयोग के लिए आंतरिक पुन: आवंटन किया जा सकता है।

5.5 वर्ष 2019-20 से 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 के लिए सिपडा योजना के तहत किए गए बजट आवंटन, संशोधित आवंटन और वास्तविक व्यय निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	बीई (₹ करोड़ में)	आरई (₹ करोड़ में)	वास्तविक (₹ करोड़ में)
2019-20	315.00	260.00	217.34
2020-21	251.50	122.89	103.43
2021-22	209.77	147.31	108.44
2022-23	240.39	100	29.20 (24.01.2023 की स्थिति के अनुसार)
2023-24	150	-	-

5.6 उपरोक्त तालिका से यह देखा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 315.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान आवंटन की तुलना में, संशोधित अनुमान काफी हद तक घटा दिया गया था और 260.00 करोड़ रुपये था, जिसमें से वास्तविक व्यय केवल 217.34 करोड़ रुपये था। वर्ष 2020-21 के संदर्भ में, आरई में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई और वास्तविक व्यय काफी कम रहा। बाद के वर्षों में इसी स्वरूप की पुनरावृत्ति हुई और खर्च की गति बहुत धीमी रही । वास्तव में चालू वित्त वर्ष के दौरान आरई में 60 प्रतिशत से अधिक की कटौती की गई। 24.01.2023 को खर्च केवल 29.20 करोड़ रुपये है, जो संशोधित अनुमान के 30 प्रतिशत और बजट अनुमान 2022-23 के लगभग 12 प्रतिशत से कम है। वर्ष 2023-24 के लिए प्रावधान 150 करोड रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत कम है।

5.7 यह पूछे जाने पर कि क्या विभाग वित्त वर्ष के भीतर आरई 2022-23 निधियों का शेष 70% खर्च करने में सक्षम हो पाएगा, विभाग ने बताया है कि:-

> "शेष राशि (70%) का उपयोग अम्ब्रेला सिपडा योजना की संबंधित उप-योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करने और राज्य सरकारों से पूर्ण आकार में अपेक्षित प्रस्तावों की उपलब्धता के अधीन किया जाएगा। इष्टतम व्यय को सुरक्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में, समिति ने सूचित किया कि विभाग द्वारा नियमित समीक्षा बैठकों, संशोधित दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आदि के रूप में सभी प्रयास किए जा रहे हैं।"

5.8 विभाग द्वारा प्रस्तुत कमी के वर्ष-वार कारण निम्नानुसार है:-

“वित्त वर्ष 2019-20 की शुरुआत में, सिपडा बजट 315 करोड़ रुपये था और इस अनुमान के बाद बजट को आरई में घटाकर 260 करोड़ रुपये कर दिया गया था कि सिपडा योजनाओं के प्रमुख घटकों को सिपडा योजना के बजट अनुमान (बीई) के स्तर तक खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रस्ताव नहीं मिले हैं । हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में, सिपडा के तहत आरई के 83.59% के रूप में 217.34 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा सकता है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष- 2020-21, कोविड-19 महामारी के प्रकोप से प्रभावित रहा और प्रस्ताव अधूरे दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुए या योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार संगत नहीं थे। दूसरी ओर, कई राज्यों से अभी भी यूसी क्लीयरेंस का इंतजार है। तथापि, लंबित यूसी की स्वीकृति और इस पर कार्रवाई करने के लिए दस्तावेजों को पूरा करने के लिए कठोर अनुवर्ती कार्रवाई के कारण 103.43 करोड़ रुपये यानी 84.16% खर्च किया जा सका।

वित्त वर्ष 2021-22 में, कोविड महामारी की दूसरी लहर ने कामकाज पर काफी असर डाला; तथापि संशोधित अनुमान में आवंटित निधियों की तुलना में व्यय को पूरा करने के प्रयास किए गए थे। तदनुसार, सिपडा व्यय 108.44 करोड़ रुपये संशोधित अनुमान का 73.61% था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, व्यय विभाग (डीओई) के दिनांक 09.03.2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के तहत, राज्य /संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश सरकारों सहित कई कार्यान्वयन एजेंसियों (केंद्रीय नोडल एजेंसियों सीएनए) को सिपडा योजना के कार्यान्वयन के लिए नामित किया गया है क्योंकि यह विभाग में विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों द्वारा कार्यान्वित उप योजनाओं की एक अम्ब्रेवला योजना है। व्यय उपयोग में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इस प्रक्रिया में राज्यों को सीएनए प्रणाली में शामिल होने में कुछ समय लग रहा है और कुछ राज्यों को सिपडा के तहत सीएनए के रूप में चिन्हित करने, पीएफएमएस पोर्टल के साथ बैंक खाते की मैपिंग आदि में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।”

5.9 समिति को आश्वस्त किया गया कि इन सभी चुनौतियों को राज्यों के साथ निरंतर बातचीत के साथ दूर किया जा रहा है और अब तक 19 राज्य इसमें शामिल हैं और शेष फरवरी के अंत तक होंगे और इससे इस योजना के तहत व्यय का खर्च बढ़ जाएगा । यह पूछे जाने पर कि 2023-24 के लिए सिपडा के तहत आवंटित धनराशि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि 2023-24 के लिए आवंटित धन व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

5.10 वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा किए गए/विचार किए गए उपायों के संबंध में समिति को सूचित किया गया है कि:-

> "पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वीसी/पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव भेजने और लंबित यूसी जमा करने का अनुरोध किया जाता है। योजना की प्रगति की निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकें भी बुलाई जाती हैं। इसके अलावा, सिपडा की उपयोजना के दिशा-निर्देश प्रस्ताव भेजने के लिए विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। निधियों के आवंटन का इष्टतम उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए संशोधित गाइडलाइंस के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्राप्त नवीन प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु नियमित अन्तराल पर अनुवीक्षण समिति की बैठक आयोजित की जाती है। नवीनतम योजना 17 फरवरी, 2023 को बनाई जा रही है, जिसमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि से प्राप्त 15 करोड़ (लगभग) के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, विभाग ने 4-5 मार्च 2022 को गुजरात में, 15-16 सितंबर 2022 को इंदौर, मप्र में 67- जनवरी 2023, को गोवा में विभाग की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं।"

(i) सुगम्य भारत अभियान

5.11 निर्मित पर्यावरण (इमारतें) ,परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान, सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ 3दिसंबर 2015 ,को शुरू किया गया।

क) सुगम्य सरकारी भवनों के अनुपात में वृद्धि।

ख) सुगम्य परिवहन प्रणाली हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक परिवहन वाहकों (बसों) के अनुपात में वृद्धि।

ग) सुगम्य सरकारी वेबसाइटों सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों के सांकेतिक भाषा दुभाषियों, कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा व्याख्या का पूल को बढ़ाना ।

5.12 पिछले 3 वित्तीय वर्षों (वर्ष वार) के लिए एआईसी के तहत बीई, आरई और वास्तविक व्यय नीचे सारणीबद्ध है:-

घटक/उप-योजनाएं	2019-20			2020-21			22-2021	
	बीई	आरई	जारी निधि	बीई	आरई	जारी निधि	बीई	जारी निधि
सुगम्य भारत अभियान*	105.00	112.0	134.19	105.00	56.37	54.03	80.00	0.57

5.13 विभिन्न संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना और विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर, एआईसी के तहत 15-12-2022 तक का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:-

लक्ष्य 1 : एआईसी के तहत सुगम्यक सरकारी भवनों के अनुपात को बढ़ाने के संबंध में निम्नलिखित तीन लक्ष्य निर्धारित करता है।

क) लक्ष्य :1.1जून 2022तक चयनित 50शहरों में कम से कम 50-25अति महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का सुगम्यता लेखापरीक्षा करना और उन्हें पूरी तरह से सुगम्यभ भवनों में परिवर्तित करना।

ख) लक्ष्य 1.2: जून 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्यों की राजधानियों के 50% सभी सरकारी भवनों के को पूरी तरह से सुगम्यर भवनों में परिवर्तित करना;

ग) लक्ष्य 1.3: जून 2022 तक सभी राज्यों के 10 सबसे महत्वपूर्ण शहरों/कस्बों (उनके अलावा, जो पहले से ही ऊपर लक्ष्य 1.1 और 1.2 में शामिल हैं) में 50% सरकारी भवनों का ऑडिट करना और उन्हें पूरी तरह से सुगम्यस भवनों में परिवर्तित करना।

लक्ष्य 2 : एआईसी के परिवहन प्रणाली सगम्यता उद्देश्यों के तहत, निम्नलिखित उद्देश्यों को सूचीबद्ध करती है:

सुगम्य हवाई अड्डों के अनुपात में वृद्धि करना

क) लक्ष्य 2.1: जून 2022 तक सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की सुगम्यता का ऑडिट करना और उन्हें पूरी तरह से सुगम्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में बदलना।

ख) लक्ष्य 2.2: जून 2022 तक सभी घरेलू हवाई अड्डों की सुगम्यता का ऑडिट और उन्हें पूरी तरह से सुगम्य हवाई अड्डों में बदलना।

उद्देश्य 3: सुगम्य रेलवे स्टेशनों के अनुपात में वृद्धि करने के संबंध में है।

क) लक्ष्य 3.1: यह सुनिश्चित करना कि जून 2022 तक देश में ए1, ए और बी श्रेणियों के रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुगम्यू रेलवे स्टेशनों में बदल दिया जाए।

ख) लक्ष्य 3.2: यह सुनिश्चित करना कि जून 2022 तक देश के 50% रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुगम्यश रेलवे स्टेशनों में बदल दिया जाए।

एआईसी के तहत उद्देश्य 4 के अनुसार, विभाग सुगम्यर सार्वजनिक परिवहन के अनुपात को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। लक्ष्य निम्नानुसार बताता है:

ग) लक्ष्य 4.1: यह सुनिश्चित करना कि जून 2022 तक देश में सरकारी स्वामित्व वाले 25% सार्वजनिक परिवहन वाहक पूरी तरह से सुगम्यव वाहक में परिवर्तित हो जाएं।

24जून, 2022को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान दिव्यांगता क्षेत्र में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा निर्धारित एआईसी के उपर्युक्त सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जून, 2022की समय सीमा को संशोध्त करके मार्च, 2024किया गया।

5.14 विभाग द्वारा निर्धारित प्रत्येक लक्ष्य के संबंध में उपलब्धियों के संबंध में, निम्नलिखित सारणीबद्ध जानकारी निम्नानुसार प्रदान की गई है:-

भवन		
क्र.सं.	**लक्ष्य**	**30.09.2022 तक उपलब्धि**
1	केंद्र द्वारा वित्त पोषित राज्य सरकार के भवन (1671 भवनों के लिए लक्ष्य 1.1)	लेखापरीक्षित भवन पर शहरों में 1671 पूर्ण भवन - 609
		21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पूर्ण भवनों 600 (वित्त पोषित भवनों का 45.28%)
2	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निधि द्वारा वित्त पोषित राज्य सरकार के भवन (लक्ष्य 1.2 और 1.3)	प्रतिभागी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -8
		चिह्नित भवनों 2851; पूर्ण भवन - 358
3	केंद्र सरकार के भवन	सभी 1100 चिन्हित भवनों को सुगम्य बनाया गया है।

परिवहन:		
क्र.सं.	**लक्ष्य**	**30.09.2022 तक उपलब्धि**
1	परिवहन - नगर विमानन (लक्ष्य 2.1 और 2.2)	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: सभी 35 को सुगम्य बनाया गया है
		69 में से 55 घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्य बनाया गया है

2	परिवहन- रेलवे (लक्ष्य 3.1 और 3.2)	पूरी तरह से सुगम्य रेलवे स्टेशन = 709 (टाइप ए 1, ए और बी) 50% स्टेशनों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया है।
3	परिवहन - बसें (लक्ष्य 4.1)	1,45,747 बसों में से, 42,384 (29.05%) बसें आंशिक रूप से सुगम्य हैं, और 8,695 (5.96%) बसें पूरी तरह से सुगम्य हैं। 3533 बस स्टेशनों में से 3120 तक 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सुगम्य बनाया गया है।

आईसीटी बुनियादी ढांचा		
क्र.सं.	**लक्ष्य**	**30.09.2022 तक उपलब्धि**
1	आईसीटी - वेबसाइटें (लक्ष्य 5.1)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विकास के लिए 724 वेबसाइटों की पेशकश की गई है। इनमें से 632 को सुगम्य और 471 को लाइव किया गया है
		केन्द्र सरकार की 100 चिन्हित वेबसाइटों में से 95 को एमईआईटीवाई द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
		जीईपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी कुल धनराशि - 23.51 करोड़ रुपये

5.15 सुगम्य भारत अभियान को लागू करने में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) की भूमिका पूछने पर विभाग ने निम्नानुसार जानकारी दी:

"दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) अभियान के लक्ष्य 1.1 के तहत पहचान की गई इमारतों को परिवर्तित करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/प्रशासन को वित्त सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, यह ई.आर.नेट इंडिया को धन मुहैया कराता है, जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की चिन्हित वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए एक स्वायत्त वैज्ञानिक समाज है। डीईपीडब्ल्यूडी सेक्टर विशिष्ट दिशानिर्देशों के निर्माण की प्रगति की निगरानी भी करता है जो वर्तमान में 20 मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी की सुगम्यमता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जा रहा है।"

5.16 आगे, यह स्पष्ट किया गया कि डीईपीडब्यूडी नोडल एजेंसी होने के कारण संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को धन आवंटित करता है जबकि संबंधित राज्यि/संघ शासित प्रदेश कार्यान्वेयन एजेंसियां हैं जो समय-समय पर पूर्ण भवनों की सूची उपलब्धं कराती हैं। चूंकि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, वे उपयोग प्रमाण पत्र और परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भवन पूरी तरह से सुगम्यम हैं।

5.17 एआईसी के तहत कार्यों को निष्पादित करने में विभाग के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों और उन पर काबू पाने के लिए किए जा रहे उपचारात्मक उपायों के संबंध में, समिति को सूचित किया गया कि डीईपीडब्ल्यूडी ने यूसी जमा करने में देरी पाई जो भवनों की मरम्मत को पूरा करने के लिए और निधि जारी करने और वर्तमान में दूसरी किस्त के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में धीमी प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है और दूसरी किस्त में धन के संवितरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के संबंध में उदासीनता रहती है। इसके अलावा, वेबसाइटों को सुलभ बनाने के संबंध में, टेम्पलेट अनुमोदन, उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) अनुमोदन और वेबसाइटों की मेजबानी प्रस्तुत करने के लिए संबंधित विभागों की ओर से धीमी अनुक्रिया दर्ज की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्यों की प्राप्ति में देरी होती है।

5.18 इस उद्देश्य के लिए, डीईपीडब्ल्यूडी, कथित तौर पर पाठ्यक्रम सुधार उपायों के रूप में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईमेल, पत्र और अनुस्मारक के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी

करता है। विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें आयोजित करने की भी बात कही है; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वास्तविक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने, एमआईएस पोर्टल पर आंकड़ों के अपडेशन और कार्य प्रगति न होने की स्थिति में जारी जीआईए की वापसी के संबंध में ई-मेल, पत्र और अनुस्मारक भेजे। इसके अलावा, इसने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिवर्ष आयोजित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य और समय सीमा के बारे में स्मरण कराया है।

5.19 इतने बड़े पैमाने पर योजनाओं को लागू करने में एक बड़ी समस्या चूक होने की थी। यह पूछे जाने पर कि क्या इस चूक से बचने के लिए कोई तंत्र है और क्या इस तरह से संशोधित संरचनाओं की समय-समय पर निगरानी की जाती है, समिति को निम्नानुसार सूचित किया गया:-

> "अभियान के लक्ष्यों की वास्तविक समय ऑनलाइन निगरानी के लिए एक एमआईएस पोर्टल सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। दक्षता में और सुधार करने और चूक को रोकने और पोर्टल की सुगम्यता बढ़ाने के लिए इस तरह से कि सभी मंत्रालय/विभाग जनता के उपयोग के लिए डेटा प्रदान करें।"

(ii) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना (यूडीआईडी)

5.20 विभाग दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक दिव्यांग को अद्वितीय दिव्यांगता आईडी कार्ड जारी करने की दृष्टि से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना को लागू करता है। यह राष्ट्रीय डेटाबेस दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन मंच भी प्रदान करता है। मई 2016 से एनआईसी क्लाउड पर एक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर पहले ही विकसित और होस्ट किया जा चुका है। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। डेटाबेस बाद में कार्यान्वयन के पदानुक्रम के सभी स्तरों गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर लाभ वितरण की वास्तविक और वित्तीय प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा। यह पारदर्शिता, दक्षता और दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ प्रदान करने में सुगमता को भी प्रोत्साहित करेगा। डेटाबेस व्यक्तिगत विवरण, पहचान विवरण, दिव्यांगता विवरण (दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का प्रतिशत आदि), शिक्षा की स्थिति, रोजगार विवरण, आय स्तर (बीपीएल/एपीएल, आदि), योजना से संबंधित विवरण आदि को कैप्चर करता है। यूडीआईडी डेटाबेस को डेटा सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के डिजीलॉकर एप्लिकेशन के साथ जोड़ा गया है। रेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह रेल में रियायत देने के उद्देश्य से यूडीआईडी परियोजना के

अंतर्गत जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान करे। इस परियोजना के तहत, केंद्र सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करती है:

क) प्रचार (₹ 1.5 लाख – ₹ 2.5 लाख – जिले की आबादी के आधार पर).

ख) कंप्यूटर, प्रिंटर, बायो-मीट्रिक और वेब कैमरा के रूप में हार्डवेयर घटक के लिए 1 लाख रुपये प्रति जिला की दर से।

ग) राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक 50,000 रुपये प्रति माह प्रति राज्य की दर से।

घ) 3.61 रुपये प्रति प्रमाण पत्र की दर से पुराने मैनुअल डेटा का डिजिटलीकरण।

5.21 योजना के तंत्र के संबंध में, विभाग ने लिखित उत्तर के रूप में निम्नवत प्रस्तुत किया है:-

"यूडीआईडी परियोजना के तहत, संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अधिसूचित जिला चिकित्सा प्राधिकरणों द्वारा दिव्यांगता के आकलन के आधार पर यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। परियोजना के तहत विभाग प्रचार और जागरूकता, आईटी अवसंरचना की खरीद, राज्य समन्वयक के पारिश्रमिक और मैनुअल सर्टिफिकेट के डिजिटलीकरण के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।"

5.22 इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में समिति को सूचित किया गया कि यूडीआईडी परियोजना के संबंध में कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार उपलब्ध कराई गई हैं:-

वित्तीय वर्ष	बनाए गए यूडीआईडी कार्डों की संख्या (लाख में)
2019-20	29.20
2020-21	12.67
2021-22	14.52
2022-23 (12.02.2023 तक)	18.29

5.23 बनाए गए/जारी किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार यूडीआईडी कार्डों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

08.02.2023 के अनुसार यूडीआईडी परियोजना की स्थिति		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तैयार किए गए ई-यूडीआईडी कार्डों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,308
2	आंध्र प्रदेश	11,19,294
3	अरुणाचल प्रदेश	2,963
4	असम	1,70,503
5	बिहार	3,94,080
6	चंडीगढ़	7,709
7	छत्तीसगढ़	2,25,428
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	3,162
9	दिल्ली	40,097
10	गोवा	7,506
11	गुजरात	3,42,505
12	हरियाणा	1,16,820
13	हिमाचल प्रदेश	77,440
14	जम्मू और कश्मीर	1,02,279
15	झारखंड	1,42,697

16	कर्नाटक	6,29,847
17	केरल	2,37,003
18	लद्दाख	3,317
19	लक्षद्वीप	912
20	मध्य प्रदेश	7,67,977
21	महाराष्ट्र	8,78,264
22	मणिपुर	8,835
23	मेघालय	28,272
24	मिजोरम	4,056
25	नागालैंड	2,173
26	ओडिशा	5,76,643
27	पुदुचेरी	19,342
28	पंजाब	3,02,439
29	राजस्थान	4,79,125
30	सिक्किम	4,128
31	तमिलनाडु	6,28,452
32	तेलंगाना	4,76,159
33	त्रिपुरा	32,742
34	उत्तर प्रदेश	10,12,900

35	उत्तराखंड	78,717
36	पश्चिम बंगाल	9
कुल		**89,29,103**

5.24 यह पूछे जाने पर कि क्या यूडीआईडी राज्य/केंद्र सरकारों द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का प्रतिस्थापन है, तो विभाग ने सकारात्मक उत्तर दिया। चूंकि, 5 मई, 2021 की अधिसूचना में अनिवार्य किया गया था कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड 1 जून 2021 से केवल पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाने थे, इसलिए समिति को आश्वासन दिया गया था कि यूडीआईडी परियोजना एकमात्र ऑनलाइन प्रक्रिया है, यूडीआईडी कार्ड के निर्माण के बाद, विभाग संबंधित दिव्यांगजन के पते पर यूडीआईडी कार्ड भेजता है। समिति की चिंताओं को दूर करने के लिए कि कम इंटरनेट कवरेज वाले ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में परियोजना को कैसे लागू किया जा रहा है, विभाग के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान सूचित किया कि:-

> "दूर-दराज के इलाकों में जिन लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं हैं, वे यू डी आई डी कार्ड के लिए अपना पंजीकरण कैसे कराएंगे। मुझे आपको बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि ऐसी कई सारी राज्य सरकारें हैं, जिन्होंने जिला स्तर से नीचे यानी ब्लॉक स्तर पर जाकर कैंप्स लगाए हैं। उन कैंप्स में राज्य सरकार के बी डी ओ और डॉक्टर्स भी होते हैं। राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं, वे लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि लेकर जाते हैं। इस कैंप का उद्देश्य यही है कि जो दूर-दराज के इलाके हैं, जिनके लिए खुद संभव नहीं है कि अपने आप पोर्टल में पंजीकरण करा सकें, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके।
>
> महोदया, आपने बायोमेट्रिक के लिए चिंता जताई है। ये तो बहुत ही जायज चिंता है। हालांकि इसके कुछ प्लस-माइनस हो सकते हैं। आज की तारीख में यूडीआईडी कार्ड बनने के लिए आधार कार्ड कंप्लसरी नहीं है। जहां तक बायोमेट्रिक की बात है, तो यू डी आई डी कार्ड में पोर्टल में जाकर अपना पंजीकरण कराएं एवं राज्य सरकार के डॉक्टर्स उसका असेसमेंट कर लें कि उसमें कौन-सी डिसेबिलिटी है एवं कितने प्रतिशत है। इसलिए बायोमेट्रिक उस हद तक आड़े नहीं आ रही है।"

5.25 यूडीआईडी स्कीम का निगरानी तंत्र निम्नानुसार है:-

क) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/जिला के साथ कॉल, व्हाट्सएप ग्रुप पर दैनिक फॉलोअप।

ख) एक रंग कोडित दैनिक निष्पादन रिपोर्ट शुरू की और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निष्पादन के स्तर का संकेत दिया।

ग) अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वोत्तम अभ्यास को साझा करके पिछड़े राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रेरित करना।

घ) माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की ओर से क्रमशः मुख्य मंत्री के सचिव एवं मुख्य सचिव के साथ नियमित पत्राचार।

5.26 समिति ने नोट किया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (सिपडा) के कार्यान्वयन की योजना की प्रगति में आने वाली बाधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ कोविड-19 का प्रतिकूल प्रभाव, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत न करना, उपयोग प्रमाण-पत्रों का लंबित रहना, प्रस्तावों का विधिवत रूप से अनुशंसित न होना आदि शामिल हैं। विभाग कथित तौर पर वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि सिपडा आज भारत में दिव्यांगजनों के लिए सबसे व्यापक योजना है, इसलिए समिति विभाग से हर साल इन बाधाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने निगरानी और समन्वय तंत्र को और मजबूत करने का आह्वान करती है। सीपीएमयू की स्थापना और सुगम्य भारत ऐप लॉन्च होने से समिति को उम्मीद है कि सिपडा के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जाएगा। समिति को विश्वास है कि विभाग वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आवंटित बजट के उपयोग के संबंध में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए मजबूत उपायों का सहारा लेकर गंभीर कदम उठाना जारी रखेगा, जो उन्हें नियोजित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पूरक अनुदान के माध्यम से अपेक्षित संशोधित अनुमान/धनराशि प्राप्त करने का हकदार बनाएगा।

5.27 समिति ने पाया है कि सिपडा की सर्वसमावेशी योजना के तहत सुगम्य भारत अभियान विभाग की प्रमुख योजना है। इसका प्रयोजन देश भर में निर्मित पर्यावरण (भवनों), परिवहन प्रणाली और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है। इस

योजना को कितना महत्व दिया गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस अभियान की निगरानी 'प्रगति' के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और सचिवों की समिति के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय द्वारा की जा रही है। तथापि, समिति यह चाहती है कि विभाग इस संबंध में और कदम उठाए। केंद्र सरकार के सभी 1100 चिन्हित भवनों का इस कार्य के लिए पूरा होना राहत की बात है हालांकि इस अभियान के प्रति राज्यों के उत्साह में कमी दिखाई पड़ती है। सुलभ परिवहन के लक्ष्यों के अंतर्गत, समिति ने पाया है कि सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सुलभ बना दिया गया है, जबकि 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 को सुलभ बनाया गया है, रेलवे के संबंध में, 709 टाइप ए 1, ए और बी रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुलभ बनाया गया है। हालांकि, समिति ने पाया कि केवल 5.96% बसें पूरी तरह से सुलभ हैं और 29.05% बसें वर्तमान में आंशिक रूप से सुलभ हैं। समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि एआईसी दिव्यांगजनों के लिए, यह अवसरों में समानता सुनिश्चित करने और बेहतर जीवन के वादे के लिए बेहतर गतिशीलता और सुलभता का प्रवेश द्वार है। समिति की यह भी राय है कि सुलभता का अर्थ केवल भवन के प्रवेश द्वार, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली आदि तक पहुंच नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य दिव्यांगजनों की पहुंच को अन्य सभी वर्गों के बराबर बनाने से है जिसमें उनकी दिव्यांगता बाधा न बने। समिति का मानना है कि दिव्यांगजनों के समक्ष चुनौतियां अधिक हैं और इसलिए योजना के इच्छित उद्देश्यों को अभिप्रेक्ष्य समय-सीमा के भीतर पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए और बाधाओं को दूर करने के लिए विवेकपूर्ण कार्यनीतियां बनती रहनी चाहिएं। समिति चाहती है कि उसे इस दिशा में हुई प्रगति के बारे में सूचित किया जाए।

5.28 समिति देश में अब तक 89.29 लाख विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) पत्र जारी करने में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है। समिति ने नोट किया कि विशिष्ट पहचान पत्र भविष्य में विभिन्न लाभ उठाने के लिए दिव्यांगजनों की पहचान और सत्यापन के एकल दस्तावेज का काम करेगा। आवेदन की पूरी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है इसलिए संभव है कि

दूरदराज, ग्रामीण और कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति इस योजना से पूरी तरह लाभान्वित न हो पाएं। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि विभाग द्वारा इन लोगों को योजना के तहत नामांकित करने के लिए उनके नेटवर्क के माध्यम से उनके स्थान पर व्यक्तिगत रूप से पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं और यहां तक कि 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी कार्ड जारी करने पर विचार किया जा रहा है। एक और प्रशंसनीय पहल स्पीडपोस्ट द्वारा वास्तविक यूडीआईडी कार्डों का भेजा जाना है जो बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करता है। समिति इस बात की भी सराहना करती है कि डिजीलॉकर ऐप में भी यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध है, जिससे दिव्यांगजनों को वास्तविक कार्ड हमेशा साथ रखने की परेशानी से बचाया जा सकता है। समिति का मानना है कि ये सभी कदम सही दिशा में हैं और विभाग को यूडीआईडी के तहत कवरेज बढ़ाने के अन्य इनोवेटिव तरीकों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समिति यह भी सुझाव देती है कि विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाने के लिए इस योजना का उचित प्रचार बढ़ाया जाए, जहां अधिकांश दिव्यांगजन रहते हैं। समिति इस प्रायोगिक परियोजना के परिणामों के साथ-साथ इन सभी जिलों के ब्यौरे और जारी किए गए यूडीआईडी कार्डों की संख्या और कार्रवाई के चरण में आज तक दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या से अवगत होना चाहेगी।

5.29 समिति ऐसे दिव्यांगजनों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान आकर्षित करना चाहती है जो विशेष प्रकार की दिव्यांगता के कारण पंजीकरण उद्देश्य से अपने फिंगर प्रिंट को चिह्नित करने में असमर्थ होने की वजह से अपना आधार कार्ड बनाने में असमर्थ होते हैं। जब ऐसे मामलों के उपाय के बारे में पूछा गया, तो बताया गया कि अपने लिए आधार कार्ड प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे दिव्यांगजनों के लिए 'बायो-मीट्रिक एक्सेप्शन' का प्रावधान है। इसलिए, समिति चाहती है कि राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों के दौरान, इस मुद्दे को उठाया जाए और कार्यान्वयन प्राधिकारियों से आग्रह किया जाए कि वे ऐसे दिव्यांगजनों को उनके आधार कार्ड प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए 'बायो मीट्रिक एक्सेप्शन' का उपयोग करें।

अध्याय-छह

दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)

इस घटक के तहत विभाग ने दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को आत्मनिर्भर उपयोगी और समुदाय में योगदान देने वाले सदस्य बनने में उन्हें सक्षम बनाने के उद्देश्य से मार्च 2015 में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) की शुरुआत की। देशभर में यह योजना लागू की गई जिसके तहत सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जिसमें सरकारी संगठन (विभाग एनएचएफडीसी एनआई/सीआरसी जैसे संगठनों सहित) और गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) शामिल हैं। प्रशिक्षण के बाद 25502 दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ है।

6.2 इस योजना के मुख्य उद्देश्यों और कवरेज के बारे में निम्नानुसार बताया गया है:-

(क) यह दिशानिर्देश 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और जिनके पास इस आशय के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो, उनको कवर करेगा।

(ख) महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रयास के रूप में, प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का कुल 30% प्रवेश महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) कौशल प्रशिक्षण इस विभाग द्वारा पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से, निहित पात्रता शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

6.3 यह योजना कार्यान्वयन संगठनों/संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जहां संगठनों की निम्नलिखित श्रेणियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

(क) राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों के विभाग,

(ख) केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान/ सीआरसी/डीडीआरसी/आरसी/आउटरीच केंद्र,

(घ) केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों या उनके अधीनस्थ निकायों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं।

6.4 राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए 2023-24 के लिए बीई सहित पिछले 3वर्षों के बीई , आरई एई का ब्यौरा निम्नानुसार है-:

वर्ष	**बीई (₹ करोड़ में)**	**आरई (₹ करोड़ में)**	**एई (₹ करोड़ में)**	**वास्तविक लक्ष्य**	**उपलब्धि**
2020-21	77	30	4.49	8500	2,918
2021-22	80.85	36	4.07	22,000	2911
2022-23	55.5	36	5.73	17000	2391 (31.01.2023 तक)
2023-24	56			17000	

6.5 जैसा कि उपरोक्त देखा जा सकता है, दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए एनएपी के अंतर्गत, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भौतिक लक्ष्य 8500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना था, लेकिन केवल 2918 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा सका। 2021-22 के लिए लक्ष्य को 2.5 गुना से अधिक बढ़ाकर 22,000 कर दिया गया था, लेकिन केवल 2911 व्यक्तियों को ही प्रशिक्षित किया गया। हालांकि, 2022-23 के लिए लक्ष्य, घटाकर 17000 कर दिया गया है, प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 2391 (31.01.2023 तक) है। विभाग के निराशाजनक प्रदर्शन के आलोक में समिति ने कारणों को जानना चाहा और क्या लक्ष्यों को बहुत महत्वाकांक्षी रखा गया था। इसके उत्तर में, विभाग ने निम्नानुसार बताया:-

वर्ष	**कमी के लिए टिप्पणियां**
2020-21	कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के कारण ,प्रशिक्षण अगस्त, 2020 के अंत से पहले शुरू नहीं हो सका।

2021-22	प्रशिक्षण केंद्रों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया और लक्ष्यों का आवंटन और प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति केवल एससीपीडब्ल्यूडी या स्मार्ट के तहत मान्य की गई प्रविष्टियों के बाद ही दी गई।नई परियोजना के तहत उन ईटीपी के लिए प्रशिक्षण की अनुमति नहीं थी जिन्होंने पिछली परियोजना पूरी नहीं की थी। केंद्रीय नोडल एजेंसी)सीएनए) के माध्यम से धन जारी करने की आवश्यकता के कारण जिसे केवल अगस्त-सितंबर के महीने के दौरान अंतिम रूप दिया गया था।
2022-23	

6.6 पहचान गए मुद्दों को हल करने और पीडब्ल्यूडी के कौशल प्रशिक्षण के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए, विभाग विभिन्न पहलें कर रहा है जैसे-

क) दिव्यांगजनों के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल (एस सी पी डब्ल्यू डी) के समन्वय से समकालीन नौकरी की मांग के आधार पर पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम तैयार करना,

ख) प्रशिक्षित पीडब्ल्यूडी हेतु प्लेसमेंट के अवसरों को बढ़ाने के लिए भर्ती-ट्रेन-तैनाती (आरटीडी) मॉडल पर पीडब्ल्यूडी की नियुक्ति के लिए विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेज़ॅन ,फ्लिपकार्ट जैसी ,गैर-सरकारी संगठन जैसे यूथ4जॉब्स ,सार्थक , स्वराज योग्यता के साथ समझौता ज्ञापन साथ समझौता ज्ञापन।

ग) फंड की पार्किंग से बचने के लिए फंडिंग पैटर्न को युक्तिसंगत बनाया गया था। प्रशिक्षण केंद्रों को मजबूत करने ,बायोमेट्रिक उपस्थिति और निरीक्षण आदि के लिए केंद्र के दिशा-निर्देश पेश किए गए।

घ) कौशल प्रशिक्षण पहल को एनएचएफडीसी ऋण सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा ताकि प्रशिक्षित पीडब्ल्यूडी को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए तुरंत वित्तीय सहायता मिल सके।

ङ) परियोजनावार मोड से बैचवार मोड में अनुदान सहायता जारी करना।

च) केवल एससीपीडब्ल्यूडी या स्मार्ट के तहत मान्य केंद्रों पर प्रशिक्षण की शुरुआत

छ) सिपडा के तहत राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) को पीएम-दक्ष पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा। एनएपी को पोर्टल पर ऑन-बोर्ड करने की प्रक्रिया चल रही है। पीएम-दक्ष में शामिल होने के बाद ,पीडब्ल्यूडी लाभार्थी सीधे प्रशिक्षण कार्यक्रम

के लिए आवेदन कर सकेंगे। पीएम-दक्ष पोर्टल पर समग्र प्रशिक्षण और प्लेसमेंट की निगरानी भी की जाएगी।

6.7 समिति नोट करती है कि दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना मार्च, 2015 में शुरू की गई थी ताकि पीडब्ल्यूडी को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा के साथ एकीकृत करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। दिव्यांगजनों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में मदद करने के लिए उनका कौशल काफी महत्व रखता है जिसके परिणामस्वरूप उनका वित्तीय सशक्तिकरण होता है। समिति का सुविचारित मत है कि प्रशिक्षण प्रदान करने और अभ्यर्थियों को प्रमाणित करने और समाज के उस वर्ग को रोजगार कौशल प्रदान करना है जिसे सबसे अधिक बेरोजगार माना जाता है, के रोजगार कौशल को बढ़ाने का उद्देश्य प्रशिक्षण केंद्रों के सत्यापन और पीएफएमएस निगरानी योजना के लिए सीएनए की स्थापना की प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अभाव में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसलिए, निगरानी के उद्देश्य के लिए सीएनए को नियुक्त करने के अलावा विभाग को शीघ्र निर्णय लेने पर ध्यान देना चाहिए ताकि प्रशिक्षित/प्रमाणित उम्मीदवारों के नियोजन/स्व-रोजगार का काफी हद तक लाभ उठाया जा सके और साथ ही निर्धारित निधियों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एनएपी के तहत कौशल प्रशिक्षण सिपडा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक और केंद्र बिंदु है, समिति विभाग पर जोर डालती है कि शुरू किए गए उपायों में और तेजी लाएं ताकि जिला मशीनरी की अधिकतम भागीदारी और कुशल केंद्रीकृत निगरानी सुनिश्चित की जा सके। समिति आगे पाती है कि विभाग अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ सहयोग करने और गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के साथ संयोजन करने जैसी पहल कर रहा है ताकि न केवल प्रशिक्षण बल्कि प्रशिक्षित उम्मीदवारों को भी प्लेसमेंट प्रदान किया जा सके । विभाग

सीआईआई, एफआईआई, एसोचैम आदि जैसे उद्योग संगठनों से भी संपर्क करने पर विचार कर रहा है ताकि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मेंटरशिप का विस्तार किया जा सके। यह अत्यंत ही स्वागत योग्य कदम है, समिति इस संबंध में की गई किसी भी कार्रवाई से अवगत रहना चाहेगी।

6.8 समिति चाहती है कि वह लक्षित समूह को योजना के दीर्घकालिक लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर प्रभावी जागरूकता अभियान आयोजित करे ताकि ताकि उन्हें अत्यधिक लाभकारी योजना के तहत स्वयं को नामांकित करने के लिए तैयार और शामिल किया जा सके। समिति यह भी चाहेगी कि विभाग प्रशिक्षण/प्रमाणन/उन्मुखीकरण पूरा होने के बाद कम से कम एक वर्ष के लिए सभी योजनाओं में रखे गए उम्मीदवारों को ट्रैक करने के लिए एक तंत्र बनाए ताकि उनके प्लेसमेंट/स्व-रोजगार अनुपात और प्रदान किए गए प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। विभाग निष्कर्षों और लाभार्थियों से प्रतिक्रिया के आधार पर आवश्यकतानुसार उपचारात्मक उपाय कर सकता है।

अध्याय-सात

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जो दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक-कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम बनाना है। यह योजना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1999 से लागू की जा रही है। विभाग के ई-अनुदान पोर्टल के माध्यम से प्रदान सहायता अनुदान (जीआईए) किया जाता है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से आईए को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और कार्यान्वयन एजेंसियों को व्यय अग्रिम अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल के माध्यम से व्यय की रिपोर्ट देनी होती है।

7.2 डीडीआरएस के उद्देश्य निम्नानुसार है:-

i. डीडीआरएस (दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना) विभाग की एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित ऐसी परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना है जिसका लक्ष्य दिव्यांगजनों को उनके इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक उनकी पहंुचना और उन्हें बनाए रखना है।

ii. दिव्यांगजनों के समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करना।

iii. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यवाई को प्रोत्साहित करना।

7.3 इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आठ (08) मॉडल परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

क) गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय-आधारित पुनर्वास परियोजना के लिए क्रॉस डिसएबिलिटी प्री-स्कूल और अर्ली इंटरवेंशन का प्रावधान है।

ख) गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय-आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूल।

ग) गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय-आधारित पुनर्वास परियोजना और निम्न दृष्टि केंद्र परियोजना के विकल्प के साथ दृष्टि दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल (बधिर (डेफ) और दृष्टिहीन सहित)।

घ) गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ अन्य दिव्यांग बच्चों (आईडी/सीपी/एएसडी/एमडी/मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डेफ, ब्लाइंडनेस आदि) के लिए विशेष स्कूल।

ड.) गृह-आधारित पुनर्वास और समुदाय-आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास।

च) गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय-आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ उपचारित और नियंत्रित मानसिक रूग्ण व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे होम।

छ) समावेशी शिक्षा परियोजना (नई शुरू की गई मॉडल परियोजना) को जारी रखने के लिए विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक / उपचार केंद्र।

ज) क्रॉस-डिसेबिलिटी थेरेपी एवं काउंसलिंग केंद्र परियोजना।

जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)

7.4 डीडीआरसी योजना 2019-20 से डीडीआरएस योजना के तहत उप घटक है। डीडीआरसी के मुख्य कार्य प्रारंभिक पहचान और उपचार; जागरूकता पैदा करना; सहायक उपकरणों की आवश्यकता/प्रावधान/निर्धारण का आकलन; चिकित्सीय सेवाएं जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि; सर्जिकल सुधार के लिए रेफरल और व्यवस्था; छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने में सहायता; कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था; शिविर उपागम के माध्यम से दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण और पहचान; यूडीआईडी जारी करने में सहायता करना और राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए आउटरीच केंद्र के रूप में कार्य करना; बाधा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना है। वर्तमान में देश के सभी जिले डीडीआरसी स्थापित करने के लिए प्राधिकृत हैं। देश में डीडीआरसी की स्थापना की स्थिति के बारे में समिति को सूचित किया

गया कि 325 अनुमोदित जिलों में 269 डीडीआरसी स्थापित किए गए हैं, जिनमें से वर्तमान में केवल 55-60 डीडीआरसी ही कार्य कर रहे हैं।

7.5 पिछले 3 वर्षों के लिए इस योजना के अंतर्गत बजटीय आबंटन लक्ष्य/उपलब्धियों सहित निम्नानुसार है (**अनुबंध I और II**)

वर्ष	बीई (करोड़ रुपये में)	आरई (करोड़ रुपये में)	एई (करोड़ रुपये में)	**वास्तविक लक्ष्य**	**उपलब्धि**
2020-21	130.00	85.00	83.18	43270	31542
2021-22	125.00	105.00	100.90	40000	30173
2022-23	125.00	105.00	58.60	40000	21230
2023-24	130.00			40000	

7.6 2020-21 से बीई, आरई और वास्तविक के बीच बेमेल के कारण निम्नानुसार हैं:-

"महामारी कोविड-19 के प्रसार के दौरान, एनई घटक में कम खर्च और कोविड महामारी में परियोजनाओं के बंद होने के कारण योजना के घटक में कुछ लागत मानदंडों में कटौती के कारण वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति में कमी आई थी। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए प्रत्येक परियोजना के कम औसत अनुदान में जिसके परिणामस्वरूप कम वास्तविक लक्ष्य हुआ। 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी संशोधित योजना में मॉडल परियोजनाओं की संख्या भी *18* से घटाकर *9* कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीद से कम रिलीज और कम लाभार्थी हुए। चालू वर्ष 2022-23 के दौरान, 14.02.2023 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय 66.34 करोड़ रुपये है और 15 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं। यह उम्मीद है कि विभाग वर्तमान वित्त वर्ष 2020-23 के अंत तक वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लेगा"।"

7.7 विभाग द्वारा योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों के बारे में, निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की गई है:-

क. मैसर्स एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एएमएस), लखनऊ द्वारा पहला थर्ड पार्टी मूल्यांकन 2018-19 में और दूसरा 2020-21 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर

इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट (एनआईईएलईआरडी), नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया है। जहां भी संभव हो, योजना में सुधार करने के लिए 01.04.2022 से प्रभावी संशोधित योजना दिशानिर्देशों में सिफारिशों को पहले ही शामिल किया जा चुका है।

ख. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर व्यय वास्तविक हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल के उपयोग के संबंध में टेलीफोन कॉल के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र/सहायता नियमित रूप से कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को संवेदनशील बनाने के लिए प्रदान की जाती है।

ग. संख्या को कम करके ऑनलाइन फॉर्म का सरलीकरण शुरू किया गया है। ऑटो आबादी द्वारा भरे जाने वाले क्षेत्रों की संख्या। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और व्यय वास्तविक हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल के उपयोग का सरलीकरण हुआ है, जिससे सहायता अनुदान को शीघ्र जारी करने में मदद मिली है। साथ ही कार्यान्वयन एजेंसियां संशोधित योजना के विभिन्न नए घटकों को समझने में सक्षम हैं।

घ. विभाग ने एक केंद्रीय कार्यक्रम निगरानी इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना की है, जो मुख्य रूप से योजना की परियोजनाओं के निरीक्षण और करीबी निगरानी के लिए बनाई गई है। पीएमयू टीम/सदस्य पीआईए का औचक निरीक्षण करेंगे और पीआईए द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रदर्शन और गुणवत्ता की निगरानी करेंगे। वे पीआईए का समग्र प्रदर्शन देने में कार्यक्रम प्रभाग की सहायता करेंगे।

7.8 इस योजना की निगरानी के लिए प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:-

क. उस संगठन को दिए गए पिछले अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र होने पर ही अनुदान जारी किया गया।

ख. संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों की निगरानी और निरीक्षण करते हैं।

ग. विभाग अपने राष्ट्रीय संस्थानों और विभाग के अधिकारियों के माध्यम से योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का समय-समय पर निरीक्षण भी करता है।

घ. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अन्तर्गत सहायता अनुदान (जीआईए) मांगने वाले गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सभी आवेदन मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

ङ. विभाग ने एक केन्द्रीय कार्यक्रम मॉनिटरिंग इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना की है, जो मुख्य रूप से योजना की परियोजनाओं के निरीक्षण और गहन मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई है। पीएमयू टीम/सदस्य पीआईए का औचक निरीक्षण करेंगे और पीआईए द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कार्य निष्पादन और गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करेंगे।

7.9 समिति पाती है कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित डीडीआरएस के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को विशेष स्कूलों, पुनर्वास केन्द्रों, प्रिपरेटरी स्कूलों, क्रॉस डिसेबिलिटी प्री-स्कूलों, अर्ली इनटर्वेन्शन सेंटर आदि परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक-कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचने और बनाए रखने में सक्षम बनाना है। विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित राशि को चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग के लिए आश्वासन दिया है। समिति विभाग से डीडीआरएस के कार्यान्वयन में आने वाली आवर्ती बाधाओं को दूर करने के अपने प्रयासों को तेज करने की सिफारिश करती है ताकि वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों की अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

अध्याय-आठ

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 31 (1) एवं *(2)* यह अधिदेशित करती है कि 6 से 18 वर्ष तक की बैंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी इच्छा के निकटतम विद्यालय अथवा किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी जब तक दिव्यांग बच्चे *18* वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उपयुक्त वातावरण में उनकी निःशुल्क शिक्षा तक सुगम्यता सुनिश्चित करेंगे। इस अधिदेश को पूरा करने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक समग्र योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना' लागू कर रहा है जिसके छह घटक हैं नामतः प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फैलोशिप छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क कोचिंग। समग्र छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी आजीविका उपार्जन के लिए आगे की पढ़ाई करने हेतु और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाने के लिए सशक्त बनाना है, क्योंकि वे अध्ययन कार्य और गरिमापूर्ण जीवन जीने में शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करते हैं।

8.2 विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही छात्रवृत्ति योजनाएं इस प्रकार हैं:-

क) राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल./पीएचडी के लिए)

ख) प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए)

ग) मैट्रिकोत्तर (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)

घ) विदेश के विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री/डॉक्टरेट के लिए

ङ) उच्च श्रेणी की शिक्षा (उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)

च) नि:शुल्क कोचिंग (ग्रुप ए, बी और सी पदों के लिए सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने और तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए)

8.3 यह सूचित किया गया है कि प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और टॉप क्लास शिक्षा में प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कुल छात्रवृत्ति स्लॉट का 50% और राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति में 30% स्लॉट बालिका उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। तथापि, यदि योजना के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पर्याप्त संख्या में बालिका उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं अथवा पात्र नहीं पाई जाती हैं, तो उपयुक्त पुरुष अभ्यथयों का चयन करके अप्रयुक्त स्लॉटों का उपयोग किया जा रहा है।

8.4 छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंड के बारे में यह कहा गया है कि यह है (i) भारतीय नागरिकों के लिए है और 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग छात्र (राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित) छात्रवृत्ति के पात्र हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के तरीके के बारे में समिति को निम्नानुसार सूचित किया गया था:–

"(i) दिव्यांग छात्रों के लिए पहली तीन छात्रवृत्ति योजनाएँ, अर्थात प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और छात्रवृत्ति राशि को पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे प्रेषित किया जाता है।

(ii) दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप यूजीसी पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। उम्मीदवारों का चयन यूजीसी द्वारा किया जाता है और चयनित उम्मीदवारों की सूची विभाग को भेजी जाती है। डीईपीडब्ल्यूडी यूजीसी द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को निधियों के संवितरण के लिए जिम्मेदार है। फैलोशिप राशि केनरा बैंक के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

(iii) दिव्यांग छात्रों के लिए नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति विदेश मंत्रालय की सहायता से डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा ऑफ़लाइन लागू की जाती है। आवेदनों को एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाता है और शॉर्ट-लिस्ट किए गए आवेदनों को राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन समिति के समक्ष रखा जाता है। छात्र को विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद ट्यूशन फीस सहित छात्रवृत्ति राशि उम्मीदवार के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

(iv) विभाग की निशुल्क कोचिंग छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जा रही है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यान्वित की जा रही

इसी प्रकार की निशुल्क कोचिंग छात्रवृत्ति योजनाओं की तर्ज पर ऑनलाइन मोड में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, आईएफ डिवीजन के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मुफ्त कोचिंग के लिए स्लॉट का उपयोग अम्ब्रेला छात्रवृत्ति योजना के अन्य घटकों में किया जा सकता है।"

8.5 इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आय सीमा के संबंध में, विभाग ने निम्नानुसार जानकारी दी:-

क्र. सं.	**योजना का नाम**	**माता-पिता की वार्षिक आय सीमा)रूपये(**
1.	नौवीं और दसवीं कक्षा के दिव्यांग छात्रों के लिए **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति।**	2.50 लाख
2.	कक्षा XIसे स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तर तक दिव्यांग छात्रों के लिए **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।**	2.50 लाख
3.	शिक्षा में उत्कृष्टता के 240अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए **उच्च श्रेणी की शिक्षा** के लिए छात्रवृत्ति।	8.00 लाख
4.	भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल/पीएचडी करने के लिए **राष्ट्रीय फैलोशिप।**	कोई आय सीमा नहीं
5.	विदेशों के विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए **नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप।**	8.00 लाख
6.	तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ग्रुप ए ,बी और सी की भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए दिव्यांग छात्रों के लिए **नि :शुल्क कोचिंग।**	8.00 लाख

8.6 जहां तक बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) का संबंध है, उसके वास्तविक उपयोग और 2020-21 से 2023-24 तक वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के संबंध में समिति को निम्नानुसार जानकारी दी गई थी:-

वर्ष	बीई (₹ करोड़ में)	आरई (₹ करोड़ में)	एई (₹ करोड़ में)	**वास्तविक लक्ष्य**	**उपलब्धि**
2020-21	125.00	100.00	97.40	44520	26067
2021-22	125.00	110.00	120.32	44520	42131
2022-23	105.00	145.00	88.04 (13.02.2023 तक)	44520	23552 (24.01.2023 तक)
2023-24	155.00			44520	

8.7 यह उन कुछ योजनाओं में से एक है जिनका 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन बढ़ाया गया था, हालांकि वर्तमान व्यय 88.04 रुपये (13.02.2023 तक) है। यह पूछे जाने पर कि क्या वित्तीय लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा, विशेष रूप से क्योंकि अब तक आवंटन का केवल 60 प्रतिशत उपयोग किया गया है, विभाग ने निम्नानुसार बताया:-

> "हम 44,520 का पूरा टारगेट अचीव करेंगे। हमारा यह पोर्टल 31 जनवरी, 2023 को बंद हुआ है। इसका वेरिफिकेशन होता है। हमारे पास जितने बच्चे हैं, उन सभी को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। गत वर्ष हमारा बजट 105 था, उसे हमने आरई में 145 करवाया है। हम पिछले साल से ज्यादा अचीव करने वाले हैं।"

8.8 जहां तक निगरानी दिशा-निर्देशों का संबंध है, समिति को सूचित किया गया कि प्री-मैट्रिक ,पोस्ट-मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर शामिल किया गया है और एनएसपी द्वारा आवेदनों के पुन :सत्यापन, पवित्रता जांच, दोहराव से बचने हेतु जांच आदि के माध्यम से मॉनीटरिंग तंत्र चलाया जाता है, एनओएस छात्रवृत्ति योजनाएं डीईपीडब्ल्यूडी के माध्यम से ऑफ़लाइन हैं और एनएफपीडब्ल्यूडी केनरा बैंक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन है।

8.9 समिति दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदर्शन की सराहना करती है। यह उन कुछ योजनाओं में से एक है जहां विभाग का प्रदर्शन असाधारण रहा है। 2020-21 के दौरान, जब व्यय का प्रतिशत लगभग 98था, अगले वर्ष यानी 2021-22 में, 110.00

करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में **120.32** करोड़ रुपये व्यय करने में सफल रहे। समिति को चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी इसी तरह के प्रदर्शन का आश्वासन दिया गया है। वास्तविक लक्ष्यों के संबंध में, यद्यपि 2020-21 की कोविड **19**-प्रभावित और लॉकडाउन अवधि में लाभार्थियों की संख्या में कमी देखी गई, अगले वर्ष विभाग ने नुकसान की भरपाई की और उपलब्धि लगभग लक्ष्यों से मेल खाती है। विभाग द्वारा दिए गए आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय न केवल संशोधित अनुमान से मेल खाएगा, बल्कि राशि से भी अधिक होगा, समिति की राय है कि छात्रवृत्ति के लिए आवंटन को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए और विभाग को परिव्यय को और बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए। समिति का दृढ़ मत है कि वित्तीय सहायता प्रदान करना दिव्यांग छात्रों के लिए एक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है जो स्कूल छोड़ने की दर को भी रोकता है और उन्हें शैक्षिक प्रणाली के भीतर रहने के लिए प्रोत्साहन देता है। समिति चाहती है कि अब तक सृजित गति को कायम रखा जाए और योजना का आवधिक मूल्यांकन किया जाए ताकि यथाशीघ्र कोई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि आवश्यक हो, शुरू की जा सके। चूंकि दिव्यांग छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग छात्रवृत्ति योजनाओं के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जा रही है, इसलिए समिति विभाग से दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने में तेजी लाने का आग्रह करती है ताकि योजना को यथाशीघ्र शुरू किया जा सके और लाभार्थी कोचिंग/प्रशिक्षण/मार्गदर्शन के माध्यम से अपनी रोजगार क्षमता बढ़ा सकें। समिति इस संबंध में लिए गए सभी निर्णयों से अवगत रहना चाहेगी ।

अध्याय - नौ

दिव्यांगता खेल केंद्र

दिव्यांगता खेल केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को विश्व के नवीनतम स्तर की समान प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है ताकि दिव्यांग खिलाड़ी पैरालम्पिक, डेफलिंपिक्स ,विशेष ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने और पदक जीतने में सक्षम हो सकें। कैबिनेट ने वर्ष 2019 में ग्वालियर)म.प्र (.में 170.99 करोड़ रुपये)151.16 करोड़ रुपये +19.83 करोड़ रुपये (की अनुमानित लागत से दिव्यांग खेल केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दी। दिव्यांगता खेल केन्द्र, ग्वालियर का निर्माण कार्य चल रहा है ,जिसके जून, 2023 तक पूरा होने की संभावना है। शिलांग में दिव्यांगता खेल केन्द्र की स्थापना के लिए एक अलग प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है।

9.2 यह पूछे जाने पर कि इस पहल के उद्देश्य क्या है और यह देश में पीडब्ल्यूडी के लिए कैसे फायदेमंद साबित होगा ,विभाग ने निम्नवत बताया है-:

> ''वर्तमान में देश में दिव्यांगजनों के लिए कोई विशेष खेल प्रशिक्षण सुविधा मौजूद नहीं है। इस रिक्तता को खेल अवसंरचना की स्थापना करके भरने का प्रस्ताव है ताकि ये व्यक्ति इन केन्द्रों में कठोर और विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। प्रस्तावित दो केंद्रों से दिव्यांगजनों के लिए उन स्थानों से उचित दूरी के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करना संभव होना चाहिए जहां वे आमतौर पर रहते हैं। वृहद स्तर पर इस प्रस्ताव से दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास पैदा करने और अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है ताकि समाज में उनका एकीकरण हो सके।"

9.3 केंद्र में प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं के संदर्भ में ,समिति को सूचित किया गया कि केंद्र एक आउटडोर एथलेटिक स्टेडियम, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ,बेसमेंट पार्किंग सुविधा से सुसज्जित होगा। एक्वाटिक सेंटर में एक कवर पूल और एक आउटडोर पूल होगा। अन्य सुविधाओं में कक्षाओं के साथ उच्च प्रदर्शन केंद्र; चिकित्सा सुविधाएं; खेल विज्ञान केंद्र; एथलीटों के लिए छात्रावास की सुविधाएं, सुलभ लॉकर, भोजन, मनोरंजन सुविधाएं और प्रशासनिक ब्लॉक सहित सहायता सुविधाएं शामिल हैं। केंद्र में प्रशिक्षण ,चयन, खेल अकादमिक और अनुसंधान, चिकित्सा सहायता, दर्शक दीर्घा और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उपयुक्त प्रावधान होंगे। प्रशिक्षण के लिए चिह्नित खेल विषयों में बैडमिंटन ,बास्केटबॉल, टेबल

टेनिस ,वॉलीबॉल, जूडो, ताइक्वांडो, तलवारबाजी और रग्बी बोकिया, गोलबॉल ,फुटबॉल 5 ए साइड , पैरा डांस स्पोर्ट और पैरा पावर लिफ्टिंग ,एथलेटिक्स ,तीरंदाजी ,फुटबॉल 7 ए साइड, टेनिस और तैराकी शामिल हैं।

9.4 केंद्र के समग्र अधीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए सचिव)डीईपीडब्ल्यूडी (की अध्यक्षता में एक शासी निकाय का गठन किया गया है ,जिसमें कुछ पदेन क्षमता में कार्यरत हैं और अन्य पैरा खेलों के विशेषज्ञों के अलावा राष्ट्रीय स्तर के खेल संघों के विशेषज्ञों के रूप में शामिल हैं। परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, डीईपीडब्ल्यूडी सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना निगरानी समिति का गठन किया गया है।

9.5 निर्माण की प्रगति के संबंध में यह सूचित किया गया है कि अब तक की वित्तीय प्रगति 89.71 करोड़ रुपये है, जो 13.02.2022 को 81.75% है, वास्तविक प्रगति 71.75% है। परियोजना के पूरा होने की अनुमानित तिथि मार्च 2023 है।

9.6 शिलांग में दिव्यांगता खेल केन्द्र की स्थापना की स्थिति के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि मेघालय सरकार ने शिलांग ,मेघालय में दिव्यांगता खेल केन्द्र के लिए 50 एकड़ भूमि आबंटित की है। इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सलाहकार द्वारा केंद्र के लिए डीपीआर प्रस्तुत किया गया है। विभाग द्वारा मसौदा डीपीआर की जांच की जा रही है और सलाहकार को समिति द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने और जल्द से जल्द अंतिम डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

9.7 विभाग के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष अतिरिक्त जानकारी देते हुए निम्नवत बताया-:

> ”शिलांग वाला सैंटर अभी डीपीआर स्टेज पर है, जो कि लगभग बन गई है। इसकी विभिन्न स्तर पर चर्चा चल रही है। इस तरह के सैंटर बार-बार नहीं बनते हैं, तो माननीय सचिव महोदय ने निर्देश दिया है कि ग्लोबल लैवल पर सैंटर अच्छे होने चाहिए। दुनिया में जहां अच्छे स्टेडियम बनाए गए हैं, हम उनका अध्ययन करा रहे हैं। ओडिशा में हॉकी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुई थी। उसे भी हम ध्यान में रख रहे हैं। विश्व में जहां ओलम्पिक्स और पेरा ओलिम्पिक्स हुए हैं, हम उनको भी ध्यान में रख रहे हैं। हम एक कॉम्प्रिहेन्सिव डीपीआर बनाना चाहते हैं।“

9.8 समिति यह जानकर प्रसन्न है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को शामिल करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने क्रमशः ग्वालियर और शिलांग में दिव्यांगजन खेलों के लिए 2 केंद्रों को मंजूरी दी है। समिति ने पाया कि ग्वालियर में केंद्र जून 2023तक पूरा होना निर्धारित है, शिलांग में केंद्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (*डीपीआर*) तैयार की जा रही है। समिति इस बात पर प्रकाश डालना चाहती है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलों की एक समृद्ध परंपरा है और इस क्षेत्र में एक खेल केंद्र का विकास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि शिलांग केंद्र के लिए डीपीआर और अन्य तैयारियों को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि आवश्यक अनुमतियां, आवंटन आदि प्राप्त के कार्य में और गति आ सके ।

अध्याय -दस

राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम)एनएचएफडीसी(

राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) कंपनी अधिनियम, 1956 (कंपनी अधिनियम ,2013 की धारा 8) की धारा 25 के तहत 24 जनवरी, 1997 को निगमित एक गैर-लाभकारी कंपनी है ,जो दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) के लाभ के लिए एक शीर्ष निगम के रूप में काम कर रही है। एनएचएफडीसी पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है और इसकी अधिकृत शेयर पूंजी ₹499.50 करोड़ और चुकता शेयर पूंजी ₹399.07 करोड़ है। निगम का मुख्य उद्देश्य पीडब्ल्यूडी के लाभ के लिए आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना और पीडब्ल्यूडी को स्वरोजगार और उच्च शिक्षा आदि के लिए ऋण प्रदान करना है। इसने पहले ही 2.31 लाख से अधिक पीडब्ल्यूडी के लाभ के लिए 1,435 करोड़ रुपये की ऋण सहायता जारी की है ,निगम 98 करोड़ रुपये से अधिक के 91,000 से अधिक पीडब्ल्यूडी को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा ,निगम ने विपणन मंच (ऑनलाइन/ऑफलाइन) प्रदान करके पीडब्ल्यूडी को व्यावसायिक संपर्क प्रदान करने हेतु पहल की है।

<u>क्रेडिट आधारित कार्यकलाप</u>

10.2 एनएचएफडीसी 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र भारतीय नागरिकों को सुविधाजनक शर्तों पर रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण सहायता, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अवधि का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र. सं.	योजना	अधिकतम ऋण	लाभार्थी द्वारा देय ब्याज दर	अधिकतम ऋण चुकौती अवधि
1	दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना	50.0 लाख	4-9% वार्षिक	10 वर्ष
2	विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना	₹ 60,000	12.5 % वार्षिक	03 वर्ष

दिव्यांगजन स्वाबलम्बन योजना के तहत दिव्यांग महिलाओं/ओएच के अतिरिक्त अन्य दिव्यांगजनों को 50000/- रुपये तक के स्वरोजगार ऋण में 1 प्रतिशत ब्याज दर की छूट दी गई है। एनएचएफडीसी द्वारा इस छूट को वहन किया जाता है।

<u>गैर क्रेडिट आधारित गतिविधियाँ</u>

एनएचएफडीसी अपने जनादेश को प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों के हित में निधियां प्रदान करता है और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। ये हैं:

(क) <u>कौशल प्रशिक्षण:</u>

- एनएचएफडीसी भारत सरकार की सिपडा योजना के तहत 15-59 वर्ष की आयु के बीच के पीडब्ल्यूडी (कम से कम 40% दिव्यांगता) को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि उन्हें पारंपरिक और तकनीकी व्यवसायों और उद्यमिता के क्षेत्र में उचित तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदारों/प्रतिष्ठित संस्थानों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएफडीसी निर्धारित सरकारी मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान स्टाइपेंड भी प्रदान करता है।

(ख) <u>जागरूकता सृजन और विपणन सहायता</u> :

- जागरूकता सृजन :एनएचएफडीसी ,कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपनी योजनाओं के संबंध में प्रचार/जागरूकता सृजन के लिए पिछले वित्त वर्ष 50,000/- रुपये (केवल रूपये पचास हजार) तक की राशि या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पिछले वित्त वर्ष से बिल्कुल पहले संवितरित राशि के 0.10 प्रतिशत ,इनमें से जो भी अधिक हो ,पर विचार किया जाता है ,की व्यय प्रतिपूर्ति करता है।
- विपणन सहायता :एनएचएडीसी दिव्यांगजनों को उनके उत्पादों के विपणन कि लिए सहायता प्रदान करता है। विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए दिव्यांगजनों को नियमित रूप से प्रायोजित किया जाता है। एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों की व्यवसाय पहुँच को बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों के ऑनलाइन और ऑफलाइन विपणन में भी सहायता करता है।

10.3 एनएचएफडीसी स्कीमों के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की उपलब्धियों और संख्या के सात-सात अनुमानित आवंटन निम्नवत है-:

(रुपये करोड़ में)

2020-21			**2021-22**			**2022-23 (23.01.2023 तक)**		
अनुमानित आवंटन	उपलब्धि	लाभार्थियों की संख्या	अनुमानित आवंटन	उपलब्धि	लाभार्थियों की संख्या	अनुमानित आवंटन	उपलब्धि	लाभार्थियों की संख्या
266.99	**133.61**	**18326**	**309.96**	**112.74**	**16713**	**348.9**	**82.86**	**12405**

10.4 पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत अधिक संख्या में दिव्यांगजनों को शामिल किए जाने के बाद से पीडब्ल्यूडी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए विभाग/एनएचएफडीसी की कार्य योजना के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने पीडब्ल्यूडी के कवरेज का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित पहलों/कदमों के बारे में बताया है:

(1) सभी ऋण योजनाओं का समामेलन:

एनएचएफडीसी ने अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने और पहुंच बढ़ाने के लिए अपनी योजनाओं और दिशानिर्देशों पर दोबारा गौर किया है। एनएचएफडीसी ने क्रेडिट आधारित फ़ंडिंग के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए और सभी मौजूदा ऋण योजनाओं) स्व-रोज़गार और शिक्षा ऋण योजना (को दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना नामक एकल ऋण योजना में समाहित किया ताकि इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके और दिव्यांगजनों तक पहुँचा जा सके। एनएचएफडीसी ने अधिकतम ऋण की सीमा को बढ़ाकर 25.00 लाख रुपये से 50.00लाख रुपये कर दिया है। शिक्षा ऋण की सीमा को बढ़ाकर 10.00 लाख रुपये से 50.00लाख रुपये कर दिया है और शिक्षा ऋण चुकाने की अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।

(2) मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए ऊपरी ऋण सीमा में वृद्धि :एनएचएफडीसी ने मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए अधिकतम ऋण सीमा को बढ़ाकर 10.00लाख से 50.00लाख कर दिया है।

(3) कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल

एनएचएफडीसी योजना के तहत लाभार्थी को ऋण मंजूर/जारी करने का अधिकार कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में प्रति परियोजना 50.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए दिया गया है। इससे ऋण देने की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। चूंकि, कार्यान्वयन एजेंसियां जमीनी स्तर पर काम करती हैं, इसलिए दिव्यांगजनों को ऋण देने के मामले में उन्हें एनएचएफडीसी को किसी भी मंजूरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है।

(4) गतिविधियों के क्षेत्र में वृद्धि*:*

एनएचएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप क्षेत्र को बढ़ाया गया है। अब ,पीडब्ल्यूडी, आय सृजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाली किसी भी गतिविधि को शुरू करने के लिए ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं या पीडब्लयूडी को उनके सशक्तिकरण की समग्र प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं जैसे कि पीने के पानी की सुविधा और स्वच्छता सुविधाओं के वित्तपोषण के लिए घरेलू शौचालयों के निर्माण/नवीनीकरण और पानी में सुधार आदि। बायोगैस संयंत्र ,आवास ,सौर पैनल , सहायक उपकरण आदि।

(5) विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना:

एनएचएफडीसी ने लघु/सूक्ष्म व्यवसाय और विकासात्मक गतिविधियों को जारी रखने हेतु एनबीएफसी-एमएफआई ,सेक्शन-8-एमएफआई, और एनजीओ-एमएफआई, एसएचजी फेडरेशनों, राज्य सरकार के मिशनों और अन्य राज्य संगठनों के माध्यम से उचित ब्याज दर पर त्वरित और आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों के लिए विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना को संशोधित किया है।

(6) उपयोगिता अवधि में वृद्धि:

उपयोगिता अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है, जिससे कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना के ग्राउंडिंग के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी करने की तारीख से 120 दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में , इसे उधार दी गई निधियों का उपयोग प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(7) शिक्षा ऋण 50)लाख रुपये तक %4 :(प्रति वर्ष की दर से नाममात्र के ब्याज पर

दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा/अध्ययन) भारत और विदेश में (के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ,निगम%4 प्रति वर्ष के मामूली ब्याज पर ऋण सहायता प्रदान करता है।

(8) पायलट प्रोजेक्ट

(क) स्वावलंबन केंद्र (एसके):

निगम का उद्देश्य पीडब्ल्यूडी के कौशल विकास के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। एसके की स्थापना के लिए देश के भीतरी इलाकों में उद्यमी पीडब्ल्यूडी को ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई थी। निगम इन एसके के आसपास स्वयं सहायता समूहों का विकास/पोषण कर रहा है। निगम इन एसके को क्रेडिट जरूरतों, स्किलिंग जरूरतों, सुनिश्चित बिजनेस लिंकेज को जोड़कर राजस्व सृजन में भी मदद करता है।

(ख) समावेशी विकास के लिए अद्वितीय व्यापार मॉडल को बढ़ावा देना:

निगम ने व्यावसायिक वाहनों के लिए दिव्यांगजनों को ऋण सहायता दी है। इसने एक व्हीकल एग्रीगेटर को शामिल करके इन वाहनों के लिए व्यावसायिक संपर्क भी प्रदान किया ,जो वाहन चलाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करता है ,रोजगार देता है।

एनएचएफडीसी द्वारा वित्तपोषित पीडब्ल्यूडी को एनएचएफडीसी द्वारा प्रदान किए गए व्यावसायिक संपर्क के माध्यम से वाहन की तैनाती से सुनिश्चित आय प्राप्त होती है। वही महिला ड्राइवरों को रोजगार भी देता है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान मिलता है। यह एनसीआर क्षेत्र और इंदौर में लोगों के लिए सुरक्षित टैक्सी की सुविधा भी प्रदान करता है।

निगम दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से नई परियोजनाओं/व्यवसाय मॉडल के साथ प्रयोग करने के लिए तैयार है।

(9) पीडब्ल्यूडी उद्यमियों के उत्पादों का ऑनलाइन विपणन:

निगम ने ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीडब्ल्यूडी उद्यमियों को उनके उत्पादों/सेवाओं के एकत्रीकरण द्वारा उनकी वस्तुओं और सेवाओं के विपणन में

सीधे समर्थन देने की पहल की है। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए कुछ उत्पाद अब प्रमुख ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

(10) बैंक के साथ गठजोड़ (टाई-अप):

एनएचएफडीसी ने एनएचएफडीसी योजना के तहत पीडब्ल्यूडी को रियायती ऋण देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीबीआई बैंक और 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एनएचएफडीसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए एक वैकल्पिक विंडो प्रदान करता है।

(11) ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ गठजोड:

एनएचएफडीसी ने विभिन्न आजीविका सहायता के लिए पीडब्ल्यूडी के एसएचजी के वित्तपोषण के लिए विभिन्न ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ संवाद शुरू किया है।

10.5पिछले पांच वर्षों) 2017-2018 से 2021-2022 के लिए राज्य-वार लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नवत है-:

(31.01.2023 **तक)**

	राज्य	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	2
2	आंध्र प्रदेश	700	1	6764	1098	0	3000
3	असम	50	0	0	0	1	22
4	बिहार	0	4	2	0	1	2
5	चंडीगढ़	18	37	30	7	9	10
6	छतीसगढ़	827	827		0	119	0
7	दिल्ली	23	13	29	2	85	152
8	गोवा	0	0	0	0	0	0
9	गुजरात	300	150	351	51	378	1
10	हरियाणा	1311	1300	3	1316	1309	303
11	हिमाचल प्रदेश	200	250	300	400	500	500

12	जम्मू और कश्मीर	254	624	976	144	737	615
13	झारखंड	301	102	100	5	100	55
14	कर्नाटक	0	1	1	1	0	4
15	केरल	525	705	1055	4504	2254	0
16	लक्षद्वीप	0	0	0	40	0	20
17	मध्य प्रदेश	1	1	3	86	36	24
18	मणिपुर	0	19	0	0	0	0
19	महाराष्ट्र	6	5	3	1	2	3
20	मेघालय	50	35	50	20	50	0
21	मिजोरम	0	0	0	20	21	0
22	नागालैंड	0	0	0	0	2	0
23	ओडिशा	20	0	0	1	1	0
24	पुदुचेरी	300	0	0	0	0	0
25	पंजाब	12	84	136	113	107	116
26	राजस्थान	250	813	1017	601	1202	3
27	सिक्किम	100	50		21	50	25
28	तमिलनाडु	6000	4002	5001	6000	6000	6000
29	तेलंगाना	0	1		3485	3485	
30	त्रिपुरा	100	50	0	70	0	55
31	उत्तर प्रदेश	369	2104	2075	337	263	1513
32	उत्तराखंड	50	42	37	1	0	3
33	पश्चिम बंगाल	0	1	2	2	0	0
	कुल	11767	11221	17935	18326	16713	12428

10.6 समिति नोट करती है कि एनएचएफडीसी दो ऋण योजनाओं का संचालन करता है- 50.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना और 60,000 रुपये तक के ऋण के लिए विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना। समिति आगे नोट करती है कि 2020-21-से,

संगठन अब सरकार से धन प्राप्त नहीं कर रहा है। समिति पाती है कि एनएचएफडीसी के ऋणों का कवरेज कई राज्यों में फैला हुआ है। समिति चाहती है कि एनएचएफडीसी अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाये गए कदमों से समिति को अवगत कराए। समिति यह भी चाहती है कि विभाग को विभिन्न योजनाओ के कार्यान्वयन में कमियों के कारणों का पता लगाना चाहिए और तदनुसार सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। लक्षित लाभार्थियों के लिए लाभप्रद रोजगार अवसरों के सृजन में वृद्धि करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, समिति चाहती है कि इस प्रकार शुरू किए गए उपायों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग को अग्रेषित ऋणों की आवश्यकता और स्थिरता का आकलन करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि लक्षित लाभार्थियों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए धन वितरण और उपयोग में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन की लगातार निगरानी की जानी चाहिए ताकि संवितरित ऋण राशि के ईमानदार और उचित उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।

नई दिल्ली;
22 मार्च, 2023
01 चैत्र, 1945 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट
टिप्पणियां/सिफारिशें का विवरण

परिशिष्ट
टिप्पणियां/सिफारिशें का विवरण

क्रम सं	पैरा सं	टिप्पणियां/सिफारिशें
1	1.16	समिति नोट करती है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कंधों पर , दिव्यांगता को मुख्यधारा में लाने, इससे जुड़ी नकारात्मक रूढ़िवादिता को दूर करने और अपनी योजनाओं एवं पहलों के माध्यम से सच्चे समावेशी समाज की नींव रखने और देश के कल्याण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करने की बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है और राष्ट्रीय दायित्व भी है। समिति आगे नोट करती है कि भारत ने दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (सीपीआरडी) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016को अधिनियमित किया है जो दिव्यांगजनों को स्वतंत्र रूप से और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने की बात करता है। जहाँ भारत सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए समावेशी समाज बनाना है, वहीं दूसरी ओर दिव्यांगजनों को इस संबंध में कई बाधाओं जैसे कि आर्थिक अवसरों की कमी, कम शैक्षिक उपलब्धियां, खराब स्वास्थ्य और गरीबी की उच्च दर का सामना करना पड़ रहा है । हालांकि समिति की राय है कि सबसे बड़ी बाधा दिव्यांगता के प्रति समाज का नकारात्मक द्रष्टिकोण है । उनकी राय है कि दिव्यांगजन केवल तभी 'अक्षम' बनते हैं जब समाज उन्हें सक्षम वातावरण से वंचित करता है जो उन्हें सम्मानित जीवन जीने का मौका देता है। समिति समझती है कि उनकी दुर्दशा के लिए कई ऐतिहासिक और अन्य कारक जिम्मेदार हैं, फिर भी, वे आश्वस्त हैं कि भावी आयोजना, सक्रिय नेतृत्व और आवंटनों का विवेकपूर्ण और न्यायसंगत प्रबंधन सहित पर्याप्त धन निर्धारित करने से सच्चे समावेशी समाज का विकास किया जा सकता है।
2	1.17	समिति नोट करती है कि चूंकि कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना,

		2021 के कार्य में विलंब हुआ, इसलिए विभाग 2011 ,के जनगणना आंकड़ों पर ही निर्भर है। जनगणना 2011 ,के आंकड़ों के अनुसार 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति हैं जो कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत से अधिक हैं। चूंकि अगली जनगणना (2021) अभी तक पूरी नहीं हुई है और परिणाम आने शेष हैं, वर्ष 2016के अधिनियम के बाद जोड़े गए दिव्यांगजनों के वास्तविक आंकड़े एक या दो वर्ष में उपलब्ध हो पाने की संभावना है। इस संबंध में, समिति चाहती है कि मंत्रालय सर्वोत्तम अनुमान पर पहुंचने के लिए सभी उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करे ताकि ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा सके और उन्हें दिव्यांगजन कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाया जा सके। यद्यपि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (76वां दौर) ने दिव्यांग व्यक्तियों की जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान जारी किए हैं, इसमें केवल निश्चित मानकों वाले दिव्यांगजनों की गणना पर ध्यान केंद्रित किया गया है और विशेषज्ञों के अनुसार यह आबादी का केवल कुछ अंश ही है। इसलिए समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि जनगणना के आंकड़े आने तक अपनी कल्याणकारी योजनाओं में सभी दिव्यांगजनों को विशेष रूप से यथासंभव शामिल करने का वैकल्पिक तरीका खोजे, क्योंकि इनमें से अधिकांश दिव्यांगजन मानसिक या बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित हैं । समिति मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसएस करने वाले दिव्यांगता सर्वेक्षणकर्ताओं पर इस बात के लिए जोर दें कि जब कोई सर्वेक्षण तैयार किया जा रहा हो तो दिव्यांगता संबंधी विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाए, सर्वेक्षकों को दिव्यांगता के प्रकारों के बारे में व्यापक रूप से प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया जाए और 2016के अधिनियम में शामिल दिव्यांगता की सभी श्रेणियों को शामिल किया जाए, जैसा कि सरकार का उद्देश्य है ।
3	1.18	समिति को ज्ञात हुआ है कि दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सहायक-यंत्रों और उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 5 प्रतिशत शुल्क लगता है। समिति यह मानती है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता, साक्षरता और सम्मान के साथ रोजगार हेतु इन सहायक-यंत्रों और उपकरणों का उनके जीवन में बहुत महत्व है। समिति ने पाया कि विभाग इस मुद्दे को जीएसटी परिषद के शीर्ष स्तर पर उठा रहा है, समिति विभाग पर इस बात के लिए जोर देना चाहती है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग का ध्यान रखने वाले एक समाजिक कल्याण विभाग होने के नाते वे यह प्रयास करें कि इन वस्तुओं को कर मुक्त घोषित कर दिया जाए। अत: समिति यह चाहती है

		कि विभाग एक अनुकूल निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस मामले को आगे बढ़ाए जिससे भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक-साधन और उपकरण अधिक किफायती बन सके।
4	8.2	समिति नोट करती है कि विभाग द्वारा वर्ष के 2023-24 लिए प्रस्तावित बजट अनुमान राशि, 1239.65 करोड़ रूपये थी, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा घटाकर बीई 1,करोड़ 225.15 रुपये कर दिया गया। कथित तौर पर, व्यय संबंधी वित्त समिति (ईएफसी) ने 2021 में आडीपस, डीडीआरएस, सिपडा नामक केंद्र क्षेत्रक योजनाओं और छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित आवंटन और वास्तविक लक्ष्यों दोनों को 5 साल के लिए 2025-26 तक निश्चित कर दिया था। इसलिए समिति विभाग से यह आग्रह करती है कि वे निधियों के निरंतर अल्प उपयोग की समीक्षा करें और नियमित निगरानी तथा मूल्यांकन के साथ उचित उपाय करें ताकि विभाग की चारों योजनाओं के लक्ष्यों को 2025-26 तक निश्चित करने के ईएफसी के निर्णय के मद्देनजर आने वाले तीन वर्षों में शेष राशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
5	3.15	समिति पाती है कि उपयोग प्रमाण पत्र और विभिन्न राज्यों/ कार्यान्वयन भागीदारों से एससी, एसटी और एनईआर श्रेणियों के तहत व्यवहार्य पर्याप्त प्रस्ताव की गैर-प्राप्ति/ देर से प्राप्ति के कारण पिछले वर्षों में निधियों का कम उपयोग हुआ है। समिति विभाग द्वारा किए गए विभिन्न उपायों को ध्यान में रखती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पीएफएमएस के माध्यम से धन के प्रवाह की निगरानी, प्रत्यक्ष दौरे, कार्यान्वयन एजेंसियों/ राज्य सरकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा समीक्षा बैठकें, वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की बैठकों आदि से नियमित तौर पर विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय की निगरानी शामिल है। आबंटित निधियों के अधिकतम उपयोग के लिए, समिति महसूस करती है कि इन प्रयासों का परिणाम बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और राज्यों से अच्छे प्रस्तावों की समय पर प्राप्ति के रूप में होगा, इसलिए यह अपेक्षित है कि सभी बाधाओं को दूर करने और इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। समिति ने नोट किया है कि 1.4.2022 से केंद्रीय नोडल एजेंसी (सी एन ए) मॉडल की शुरुआत से पीएफ़एमएस पोर्टल पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधि के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया बनाई गई है, जिसे अगस्त, 2022 में अंतिम रूप दिया गया है। यह स्वीकार करते हुए कि मौजूदा प्रक्रियाओं और कार्यविधियों में बदलाव को नियमित होने में समय लगता है, समिति विभाग से इसकी सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में सीएनए मॉडल के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियात्मक

		औपचारिकताओं में तेजी लाने का आग्रह करती है ।
6	**4.24**	**समिति ने यह पाया है कि दिव्यांगजन को सहायक उपकरण और सुधारात्मक शल्य चिकित्सा प्रदान करके सहायक सामग्री/उपकरणों की खरीद/फिटिंग (एडिप) के लिए सहायता उनके सशक्तीकरण के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है। समिति नोट करती है कि एडिप के तहत वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के रूप में 235.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर 230.00 करोड़ रुपये किया गया और वास्तविक व्यय अब तक 146.01 करोड़ रुपये है। वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान के रूप में 245.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप और सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण प्रतिबंधों, जिन्होंने योजना के संपूर्ण विनिर्माण और वितरण तंत्र को बाधित कर दिया, को व्यय में कमियों के लिए कारण बताया गया है। विभाग की वाजिब कठिन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, चूंकि सहायक सामग्री और उपकरणों के वितरण के साथ-साथ शिविरों के आयोजन के लिए बड़ी संख्या को निलंबित कर दिया गया था, समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह अब वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 245 करोड़ रूपए के बजट अनुमान के आवंटन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान शिविरों, कार्यक्रमों आदि को नियमित रूप से आयोजित करने के लिए विशेष अभियान चलाये। विभाग ने समिति को इस वर्ष शिविर आयोजित करने की अपनी भावी योजना के बारे में भी सूचित किया है। इस संबंध में, समिति यह सिफारिश करती है कि शिविरों आदि के आयोजन के अतिरिक्त, विभाग को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर और अधिक बल देना चाहिए जिससे दिव्यांगजन अधिक से अधिक संख्या में इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं से परिचित हों और उक्त योजना का लाभ उठा सकें । समिति का सुझाव है कि विभाग पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तरह राष्ट्रीय अवकाश/त्यौहार/ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आदि जैसे कुछ दिनों के दौरान देशभर में एक साथ शिविरों का आयोजन कर सकता है जिससे इसके बारे में एक सार्वजनिक धारणा बनाई जा सके और ऐसे शिविरों में अधिक से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।**

7	4.25	समिति 15 सितंबर, 2022 से एडिप योजना के लिए 'अर्जुन एडिप -एमआईएस' पोर्टल शुरू करने के लिए विभाग की पहल की सराहना करती है। सी-डैक के माध्यम से विकसित, यह पोर्टल न केवल लाभार्थी के डेटा की वास्तविक समय पर निगरानी करेगा अपितु लाभार्थियों के दोहराव को रोकेगा और उसकी जांच भी करेगा । इसके अलावा, इसमें नए उपकरणों/उनकी मरम्मत और शिकायत दर्ज करने के लिए लाभार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण भी शामिल है और यह डेटा प्रबंधन और अनुपालन में कार्यान्वयन एजेंसियों को सुविधा प्रदान करता है। समिति को विश्वास है कि इसके लागू होने के बाद यह पहल समान आवंटन करने और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सटीक संख्या तक पहुंचने के लिए डिसएबेलिटी के आंकड़ों के रखरखाव और तैयार करने में स्वागत योग्य परिवर्तन लाएगी।
8	5.26	समिति ने नोट किया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (सिपडा) के कार्यान्वयन की योजना की प्रगति में आने वाली बाधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ कोविड-19 का प्रतिकूल प्रभाव, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत न करना, उपयोग प्रमाण-पत्रों का लंबित रहना, प्रस्तावों का विधिवत रूप से अनुशंसित न होना आदि शामिल हैं। विभाग कथित तौर पर वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि सिपडा आज भारत में दिव्यांगजनों के लिए सबसे व्यापक योजना है, इसलिए समिति विभाग से हर साल इन बाधाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने निगरानी और समन्वय तंत्र को और मजबूत करने का आह्वान करती है। सीपीएमयू की स्थापना और सुगम्य भारत ऐप लॉन्च होने से समिति को उम्मीद है कि सिपडा के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जाएगा। समिति को विश्वास है कि विभाग वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आवंटित बजट के उपयोग के संबंध में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए मजबूत उपायों का सहारा लेकर गंभीर कदम उठाना जारी रखेगा, जो उन्हें नियोजित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पूरक अनुदान के माध्यम से अपेक्षित संशोधित अनुमान/धनराशि प्राप्त करने का हकदार बनाएगा।

9	5.27	समिति ने पाया है कि सिपडा की सर्वसमावेशी योजना के तहत सुगम्य भारत अभियान विभाग की प्रमुख योजना है। इसका प्रयोजन देश भर में निर्मित पर्यावरण (भवनों), परिवहन प्रणाली और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है। इस योजना को कितना महत्व दिया गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस अभियान की निगरानी 'प्रगति' के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और सचिवों की समिति के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय द्वारा की जा रही है। तथापि, समिति यह चाहती है कि विभाग इस संबंध में और कदम उठाए। केंद्र सरकार के सभी 1100 चिन्हित भवनों का इस कार्य के लिए पूरा होना राहत की बात है हालांकि इस अभियान के प्रति राज्यों के उत्साह में कमी दिखाई पड़ती है। सुलभ परिवहन के लक्ष्यों के अंतर्गत, समिति ने पाया है कि सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सुलभ बना दिया गया है, जबकि 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 को सुलभ बनाया गया है, रेलवे के संबंध में, 709 टाइप ए 1, ए और बी रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुलभ बनाया गया है। हालांकि, समिति ने पाया कि केवल 5.96% बसें पूरी तरह से सुलभ हैं और 29.05% बसें वर्तमान में आंशिक रूप से सुलभ हैं। समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि एआईसी दिव्यांगजनों के लिए, यह अवसरों में समानता सुनिश्चित करने और बेहतर जीवन के वादे के लिए बेहतर गतिशीलता और सुलभता का प्रवेश द्वार है। समिति की यह भी राय है कि सुलभता का अर्थ केवल भवन के प्रवेश द्वार, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली आदि तक पहुंच नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य दिव्यांगजनों की पहुंच को अन्य सभी वर्गों के बराबर बनाने से है जिसमें उनकी दिव्यांगता बाधा न बने। समिति का मानना है कि दिव्यांगजनों के समक्ष चुनौतियां अधिक हैं और इसलिए योजना के इच्छित उद्देश्यों को अभिप्रेक्ष्य समय-सीमा के भीतर पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए और बाधाओं को दूर करने के लिए विवेकपूर्ण कार्यनीतियां बनती रहनी चाहिएं। समिति चाहती है कि उसे इस दिशा में हुई प्रगति के बारे में सूचित किया जाए।

10	5.28	**समिति देश में अब तक 89.29 लाख विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) पत्र जारी करने में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है। समिति ने नोट किया कि विशिष्ट पहचान पत्र भविष्य में विभिन्न लाभ उठाने के लिए दिव्यांगजनों की पहचान और सत्यापन के एकल दस्तावेज का काम करेगा। आवेदन की पूरी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है इसलिए संभव है कि दूरदराज, ग्रामीण और कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति इस योजना से पूरी तरह लाभान्वित न हो पाएं। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि विभाग द्वारा इन लोगों को योजना के तहत नामांकित करने के लिए उनके नेटवर्क के माध्यम से उनके स्थान पर व्यक्तिगत रूप से पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं और यहां तक कि 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी कार्ड जारी करने पर विचार किया जा रहा है। एक और प्रशंसनीय पहल स्पीडपोस्ट द्वारा वास्तविक यूडीआईडी कार्डों का भेजा जाना है जो बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करता है। समिति इस बात की भी सराहना करती है कि डिजीलॉकर ऐप में भी यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध है, जिससे दिव्यांगजनों को वास्तविक कार्ड हमेशा साथ रखने की परेशानी से बचाया जा सकता है। समिति का मानना है कि ये सभी कदम सही दिशा में हैं और विभाग को यूडीआईडी के तहत कवरेज बढ़ाने के अन्य इनोवेटिव तरीकों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समिति यह भी सुझाव देती है कि विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाने के लिए इस योजना का उचित प्रचार बढ़ाया जाए, जहां अधिकांश दिव्यांगजन रहते हैं। समिति इस प्रायोगिक परियोजना के परिणामों के साथ-साथ इन सभी जिलों के ब्यौरे और जारी किए गए यूडीआईडी कार्डों की संख्या और कार्रवाई के चरण में आज तक दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या से अवगत होना चाहेगी।**
11	**5.29**	**समिति ऐसे दिव्यांगजनों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान आकर्षित करना चाहती है जो विशेष प्रकार की दिव्यांगता के कारण पंजीकरण उद्देश्य से अपने फिंगर प्रिंट को चिह्नित करने में असमर्थ होने की वजह से अपना आधार कार्ड बनाने में असमर्थ होते हैं। जब ऐसे मामलों के उपाय के बारे में पूछा गया, तो बताया गया कि अपने लिए आधार कार्ड प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे दिव्यांगजनों के लिए 'बायो-मीट्रिक एक्सेप्शन' का प्रावधान है। इसलिए, समिति चाहती है कि राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों के दौरान, इस मुद्दे को उठाया जाए और कार्यान्वयन प्राधिकारियों से आग्रह किया जाए कि वे ऐसे दिव्यांगजनों को उनके आधार कार्ड प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए 'बायो मीट्रिक एक्सेप्शन' का**

		उपयोग करें।
12	6.7	**समिति नोट करती है कि दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना मार्च, 2015 में शुरू की गई थी ताकि पीडब्ल्यूडी को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा के साथ एकीकृत करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। दिव्यांगजनों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में मदद करने के लिए उनका कौशल काफी महत्व रखता है जिसके परिणामस्वरूप उनका वित्तीय सशक्तिकरण होता है। समिति का सुविचारित मत है कि प्रशिक्षण प्रदान करने और अभ्यर्थियों को प्रमाणित करने और समाज के उस वर्ग को रोजगार कौशल प्रदान करना है जिसे सबसे अधिक बेरोजगार माना जाता है, के रोजगार कौशल को बढ़ाने का उद्देश्य प्रशिक्षण केंद्रों के सत्यापन और पीएफएमएस निगरानी योजना के लिए सीएनए की स्थापना की प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अभाव में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसलिए, निगरानी के उद्देश्य के लिए सीएनए को नियुक्त करने के अलावा विभाग को शीघ्र निर्णय लेने पर ध्यान देना चाहिए ताकि प्रशिक्षित/प्रमाणित उम्मीदवारों के नियोजन/स्व-रोजगार का काफी हद तक लाभ उठाया जा सके और साथ ही निर्धारित निधियों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एनएपी के तहत कौशल प्रशिक्षण सिपडा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक और केंद्र बिंदु है, समिति विभाग पर जोर डालती है कि शुरू किए गए उपायों में और तेजी लाएं ताकि जिला मशीनरी की अधिकतम भागीदारी और कुशल केंद्रीकृत निगरानी सुनिश्चित की जा सके। समिति आगे पाती है कि विभाग अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ सहयोग करने और गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के साथ संयोजन करने जैसी पहल कर रहा है ताकि न केवल प्रशिक्षण बल्कि प्रशिक्षित उम्मीदवारों को भी प्लेसमेंट प्रदान किया जा सके । विभाग सीआईआई, एफआईआई, एसोचैम आदि जैसे उद्योग संगठनों से भी संपर्क करने पर विचार कर रहा है ताकि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मेंटरशिप का विस्तार किया जा सके। यह अत्यंत ही स्वागत योग्य कदम है, समिति इस संबंध में की गई किसी भी कार्रवाई से अवगत रहना चाहेगी।**

13	6.8	**समिति चाहती है कि वह लक्षित समूह को योजना के दीर्घकालिक लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर प्रभावी जागरूकता अभियान आयोजित करे ताकि ताकि उन्हें अत्यधिक लाभकारी योजना के तहत स्वयं को नामांकित करने के लिए तैयार और शामिल किया जा सके। समिति यह भी चाहेगी कि विभाग प्रशिक्षण/प्रमाणन/उन्मुखीकरण पूरा होने के बाद कम से कम एक वर्ष के लिए सभी योजनाओं में रखे गए उम्मीदवारों को ट्रैक करने के लिए एक तंत्र बनाए ताकि उनके प्लेसमेंट/स्व-रोजगार अनुपात और प्रदान किए गए प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। विभाग निष्कर्षों और लाभार्थियों से प्रतिक्रिया के आधार पर आवश्यकतानुसार उपचारात्मक उपाय कर सकता है।**
14	7.9	**समिति पाती है कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित डीडीआरएस के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को विशेष स्कूलों, पुनर्वास केन्द्रों, प्रिपरेटरी स्कूलों, क्रॉस डिसेबिलिटी प्री-स्कूलों, अर्ली इनटर्वेन्शन सेंटर आदि परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक-कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचने और बनाए रखने में सक्षम बनाना है। विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित राशि को चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग के लिए आश्वासन दिया है। समिति विभाग से डीडीआरएस के कार्यान्वयन में आने वाली आवर्ती बाधाओं को दूर करने के अपने प्रयासों को तेज करने की सिफारिश करती है ताकि वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों की अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।**
15	8.9	**समिति दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदर्शन की सराहना करती है। यह उन कुछ योजनाओं में से एक है जहां विभाग का प्रदर्शन असाधारण रहा है। 2020-21 के दौरान, जब व्यय का प्रतिशत लगभग 98 था, अगले वर्ष यानी 2021-22 में, 110.00करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 120.32 करोड़ रुपये व्यय करने में सफल रहे। समिति को चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी इसी तरह के प्रदर्शन का आश्वासन दिया गया है। वास्तविक लक्ष्यों के संबंध में, यद्यपि 2020-21 की कोविड 19-प्रभावित और लॉकडाउन अवधि में लाभार्थियों की संख्या में कमी देखी गई, अगले वर्ष विभाग ने नुकसान की भरपाई की और उपलब्धि लगभग लक्ष्यों से मेल खाती है। विभाग द्वारा दिए गए आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय न केवल संशोधित अनुमान से मेल खाएगा, बल्कि राशि से भी अधिक होगा, समिति की राय है कि छात्रवृत्ति के लिए आवंटन को और**

		सुदृढ़ किया जाना चाहिए और विभाग को परिव्यय को और बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए। समिति का दृढ़ मत है कि वित्तीय सहायता प्रदान करना दिव्यांग छात्रों के लिए एक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है जो स्कूल छोड़ने की दर को भी रोकता है और उन्हें शैक्षिक प्रणाली के भीतर रहने के लिए प्रोत्साहन देता है। समिति चाहती है कि अब तक सृजित गति को कायम रखा जाए और योजना का आवधिक मूल्यांकन किया जाए ताकि यथाशीघ्र कोई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि आवश्यक हो, शुरू की जा सके। चूंकि दिव्यांग छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग छात्रवृत्ति योजनाओं के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जा रही है, इसलिए समिति विभाग से दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने में तेजी लाने का आग्रह करती है ताकि योजना को यथाशीघ्र शुरू किया जा सके और लाभार्थी कोचिंग/प्रशिक्षण/मार्गदर्शन के माध्यम से अपनी रोजगार क्षमता बढ़ा सकें। समिति इस संबंध में लिए गए सभी निर्णयों से अवगत रहना चाहेगी ।
16	9.8	**समिति यह जानकर प्रसन्न है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को शामिल करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने क्रमशः ग्वालियर और शिलांग में दिव्यांगजन खेलों के लिए 2 केंद्रों को मंजूरी दी है। समिति ने पाया कि ग्वालियर में केंद्र जून 2023तक पूरा होना निर्धारित है, शिलांग में केंद्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (*डीपीआर*) तैयार की जा रही है। समिति इस बात पर प्रकाश डालना चाहती है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलों की एक समृद्ध परंपरा है और इस क्षेत्र में एक खेल केंद्र का विकास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि शिलांग केंद्र के लिए डीपीआर और अन्य तैयारियों को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि आवश्यक अनुमतियां, आवंटन आदि प्राप्त के कार्य में और गति आ सके ।**